जवाहर लाल गुप्ता और एन. सी. खिची न्यायमूर्ति के समक्ष

वी. के. खन्ना, -याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य, -उत्तरदाता।

सी. डब्ल्यू. पी. सं. *8150* सन *1998*

21 दिसंबर, 1998

भारत का संविधान, *1950*-अनुच्छेद 226-किसी जांच को रोकने या आरोप पत्र को रद्द करने के लिए याचिका दायर-ऐसी रिट याचिका को बनाए रखना।

अभिनिर्धारित किया कि एक रिट अदालत आम तौर पर किसी जांच को रोकने या आरोप पत्र को रद्द करने के लिए हस्तक्षेप नहीं करती है।हालाँकि, वर्तमान मामले में हम संतुष्ट हैं कि मौन सही विकल्प नहीं होगा।जब चीजें गलत तरीके से की जाती हैं, तो मौन एक पाप है।वर्तमान मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है जहां अदालत को अन्याय को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए।

(पैरा 103)

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-एक आई. ए. एस. अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र-याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच-याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं किए गए दस्तावेजों का दावा-चाहे उचित अवसर से इनकार किया गया हो।

माना कि राज्य सरकार के पास नियमों के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की शक्ति है।

(पैरा 103)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता को उचित अवसर देने से इनकार किया गया था क्योंकि उसे दस्तावेजों की प्रतियां या अभिलेख का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई थी।यह कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन थी।प्रतिवादीगण ने न्यायपूर्ण और निष्पक्ष जांच के लिए बुनियादी नियमों और मानदंडों का पालन नहीं किया है।उन्होंने न्यूनतम गारंटी का उल्लंघन किया है कि अधिकारी को एक प्रभावी अधिकार दिया जाएगा। आरोप-पत्र में उत्तर प्रस्तुत करने का अवसर और यह कि नियमित रूप से जवाब देने का निर्णय लेने से पहले उसके जवाब पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाएगा।वर्तमान मामले में प्रतिवादी संख्या 4 ने घोषणा की थी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई की जाएगी।मुख्यमंत्री ने याचिकाकर्ता को दिए गए जवाब की अवधि समाप्त होने से पहले ही एक जांच अधिकारी नियुक्त करने के निर्णय के बारे में घोषणा कर दी थी।

(पैरा 103)

याचिकाकर्ता की ओर से अरुण नेहरा और रंजन लखनपाल के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता डी. एस. नेहरा और अधिवक्ता।

भारत संघ के लिए-प्रतिवादी संख्या *1*-नेमो

पंजाब राज्य के लिए-राजिंदर सच्चर, हेमंत गुप्ता के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल, एस. आई. पी. एस. सिंह बादल के लिए पंजाब, (मुख्यमंत्री 8 और श्री आर. एस. मान, आई. ए. एस., मुख्य सचिव, पंजाब-प्रतिवादी संख्या 3 और 4 दीपक सिब्बल, अधिवक्ता।

बिक्रमजीत सिंह, आई. ए. एस., प्रधान सचिव, सिंचाई और बिजली के लिए-प्रतिवादी संख्या 5 मोहिंदरजीत सिंह सेठी, वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सेठी, अधिवक्ता।

सी. बी. आई. के लिए-प्रतिवादी संख्या 6-आर. के. हांडा, अधिवक्ता।

निर्णय

जवाहर लाल गुप्ता, न्यायमूर्ति

(1) क्या याचिकाकर्ता को विवादित आरोप पत्र जारी करने में प्रतिवादीगण की कार्रवाई हथौड़े का उपयोग करके उसके माथे पर एक मक्खी को बदलने के समान है?क्या प्रतिवादीगण केवल सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ब्याज पर काम कर रहे हैं?इस रिट याचिका में विवाद का मूल यही है।संक्षेप में मामला क्या है?

(2) याचिकाकर्ता ने मुख्य सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेशों का पालन करते हुए दो मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो को भेजा था।इनमें से पहला मामला "श्री बिक्रमजीत सिंह, आई. ए. एस. द्वारा आय के ज्ञात साधनों के अनुपात से अधिक संपत्ति जमा करने" से संबंधित था।दूसरा मामला "पंजाब क्रिकेट संघ को भूमि और धन के आवंटन" के बारे में था।" सरकार बदल गई।इसके तुरंत बाद याचिकाकर्ता पर अन्य बातों के साथ-साथ "अखिल भारतीय सेवा की घोर अवहेलना करते हुए सरकारी कामकाज के स्थापित मानदंडों और प्रक्रियाओं का घोर उल्लंघन करते हुए दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम करने" के लिए आरोप पत्र दायर किया गया।

उपरोक्त दो मामलों को सी. बी. आई. को भेजने में नियम, निष्पक्षता के सिद्धांत, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और एक वरिष्ठ सिविल सेवक से अपेक्षित उच्च नैतिकता।

(3) याचिकाकर्ता आरोप पत्र की वैधता पर सवाल उठाता है।उनका दावा है कि उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राजिंदर कौर भट्ठल के स्पष्ट आदेशों का पालन करते हुए दोनों मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया था।चुनाव के बाद उत्तरदाता नंबर 3 श्री प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बन गए थे।मुख्यमंत्री के रिश्तेदार प्रत्यर्थी संख्या 4 श्री आर. एस. मान को अच्छे रिकॉर्ड वाले दस से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों को हटाकर मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था।श्री बिक्रमजीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 5 को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में तैनात किया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि उनके खिलाफ पूछताछ लंबित थी।सत्ता में आने के बाद, प्रतिवादीगण ने जांच को दबाने के लिए हर संभव प्रयास किया।उन्होंने उन अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया जिनके द्वारा दोनों मामलों को सी. बी. आई. को भेजा गया था। उन्होंने सी. बी. आई. को अपने आदेशों को लागू करने और जांच जारी रखने से रोकने के लिए सरकारी तंत्र का उपयोग करने की धमकी भी दी। हालाँकि ये प्रयास विफल हो गए थे क्योंकि एक जनहित याचिका शुरू होने पर उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया था और सरकार द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया था।सी. बी. आई. को जांच करने का निर्देश दिया गया।दोनों मामलों में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं।इसके बावजूद, याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुचित तरीके से आरोप पत्र दायर किया गया है और उसके खिलाफ जांच की मांग की गई है।उनका आरोप है कि उनके खिलाफ आरोप पत्र "दोनों मामलों को सी. बी. आई. को भेजे जाने का प्रत्यक्ष परिणाम है और यह स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण है।" केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा आरोप-पत्र को उनकी चुनौती को नकार दिया गया था-16 अप्रैल, 1998 के आदेश के माध्यम से, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस याचिका के माध्यम से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

(4) इस मामले की ओर ले जाने वाली घटनाओं के क्रम और पक्षों की दलीलों पर संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता है।

(5) याचिकाकर्ता को वर्ष 1963 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किया गया था। आज, वह अखिल भारतीय स्तर पर वरिष्ठता में कैबिनेट सचिव के बगल में होने का दावा करते हैं। याचिकाकर्ता ने पिछले 35 वर्षों के दौरान विभिन्न पदों पर कार्य किया है।2 जुलाई, 1996 को उन्हें मुख्य सचिव नियुक्त किया गया।उस समय श्री हरचरण सिंह बरार मुख्यमंत्री थे।इसके बाद श्रीमती राजिंदर कौर भट्ठल ने उनका स्थान लिया।

(6) 6 फरवरी, 1997 को मुख्यमंत्री श्रीमती भट्ठल ने याचिकाकर्ता को एक पत्र भेजा।उसने दो से संबंधित फाइलें माँगी।इनमें से पहला मामला आई. ए. एस. श्री बिक्रमजीत सिंह द्वारा "ज्ञात साधनों" से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित था। दूसरा मामला खेल विभाग द्वारा मोहाली में

पंजाब क्रिकेट संघ को 15 एकड़ सरकारी भूमि के आवंटन से संबंधित था।याचिकाकर्ता ने तथ्यात्मक स्थिति की ओर इशारा किया था और उसी दिन मुख्यमंत्री को भेजे गए दो अलग-अलग नोटों में अपनी टिप्पणियों को दर्ज किया था।इसके बाद मुख्यमंत्री ने दो अलग-अलग आदेश पारित किए थे।

(7) श्री बिक्रमजीत सिंह के मामले में मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित टिप्पणी की थीः—

> "मैंने सतर्कता ब्यूरो की जांच रिपोर्ट के साथ-साथ फाइल के अन्य हिस्सों को भी देखा है।मैं मुख्य सचिव से सहमत हूं कि इस मामले की ठीक से जांच नहीं की गई है।चूँकि अधिकारी वरिष्ठ और प्रभावशाली होता है, इसलिए राज्य तंत्र द्वारा एक और जांच उचित नहीं हो सकती है।इसलिए इस मामले को जांच के लिए सी. बी. आई. को भेजा जा सकता है।संदर्भ तुरंत दिया जा सकता है।"

एसडी/-

C.S.C.M./6.2.97।

(8) भूमि के आवंटन से संबंधित मामले के संबंध में, उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देश दिएः—

> "क्रिकेट संघ के अवैध कब्जे को खाली किया जाना चाहिए।जहां तक शामिल अधिकारियों की गलती का संबंध है, यह देखते हुए कि वे वरिष्ठ अधिकारी हैं और राज्य सरकार की एजेंसी द्वारा जांच के संचालन में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त प्रभावशाली हैं, इस मामले की जांच सी. बी. आई. जैसी एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए ताकि वित्तीय अनियमितताओं, गबन, राज्य सरकार को हुए नुकसान और मौजूदा कानूनों के तहत खेल प्रचार के नाम पर किसी भी अन्य अवैध कृत्य का पता लगाया जा सके।"

एसडी/-

C.S.C.M./6.2.97।

(9) इन आदेशों का पालन करते हुए याचिकाकर्ता ने दोनों मामलों को सी. बी. आई. को भेज दिया था। 7 फरवरी, 1997 को उन्होंने दर्ज किया था कि "मामले को सी. बी. आई. को भेजने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है।"

(10) उसी दिन अर्थात। 7 फरवरी, 1997 को राज्य विधानसभा के चुनाव हुए।मतों की गिनती 9 फरवरी, 1997 को हुई थी।गणना के समापन पर परिणाम घोषित किया गया।कांग्रेस पार्टी हार गई।12 फरवरी, 1997 को मुख्यमंत्री श्रीमती भट्टल ने इस्तीफा दे दिया और प्रकाश सिंह बादल, प्रतिवादी संख्या 3 ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।इसके तुरंत बाद वे अमृतसर चले गए।वे 14 फरवरी, 1997 को चंडीगढ़ लौटे थे और कार्यालय में उपस्थित हुए थे।

(11) 14 फरवरी, 1997 को ही मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल ने दो आदेश पारित किए।

(12) पहले आदेश से उन्होंने निर्देश दिया कि -

> "श्री आर. एस. मान, आई. ए. एस. को तत्काल प्रभाव से श्री वी. के. खन्ना, आई. ए. एस. के स्थान पर पंजाब सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया जाएगा।"

(13) इस प्रकार, याचिकाकर्ता श्री वी. के. खन्ना को प्रत्यर्थी संख्या 4, श्री आर. एस. मान

द्वारा प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया गया।

(14) उसी दिन मुख्यमंत्री ने एक और आदेश पारित किया कि -

> "श्री बिक्रमजीत सिंह, आई. ए. एस. को तत्काल प्रभाव से श्री एस. एस. डावरा, आई. ए. एस. के स्थान पर मुख्यमंत्री, पंजाब का प्रधान सचिव नियुक्त किया जाएगा।"

(15) इन आदेशों की प्राप्ति पर, एक अधिकारी (सुश्री के. सिद्धू-श्री सच्चर द्वारा अदालत को दिए गए कागजातों के संकलन का पृष्ठ 3) द्वारा एक नोट दर्ज किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया था कि -

> "श्री आर. एस. मान 1965 हैच के हैं।मुख्य सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति के साथ, वह राज्य में 10 अधिकारियों को हटा देंगे।इनमें से चार अधिकारी (श्री वी. के. खन्ना सहित) रुपये के पैमाने पर हैं। 8, 000 पी. एम. शेष छह अधिकारियों को भी यह पैमाना देना होगा।यह नियमों के खिलाफ है।"

(16) यह आगे देखा गया कि -

> "श्री बिक्रमजीत सिंह के खिलाफ सतर्कता विभाग में एक नियमित जांच लंबित है और उनके खिलाफ कथित पक्षपात और भ्रष्टाचार की दो शिकायतें लंबित हैं।"

(17) याचिकाकर्ता ने उसी दिन 14 फरवरी, 1997 को मुख्यमंत्री को इस नोट का समर्थन किया।नोट को पूरी तरह से नजरअंदाज करने के बावजूद, मुख्यमंत्री अपने विचार पर कायम रहे। उन्होंने आदेश दिया कि दोनों अधिकारियों को नियुक्त किया जाए।इन निर्देशों का तुरंत पालन किया गया।

(18) याचिकाकर्ता का आरोप है कि इसके बाद वह 18 फरवरी, 1997 को दिल्ली के लिए रवाना हुए और 23 फरवरी, 1997 को चंडीगढ़ लौट आए।उसी दिन रात करीब 9 बजे श्री बिक्रमजीत सिंह के खिलाफ मामले से संबंधित फाइल उनके द्वारा मुख्य सचिव श्री आर. एस. मान को सौंप दी गई।25 फरवरी, 1997 को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने प्राथमिकी संख्या 7 और 8 के माध्यम से दोनों मामले दर्ज किए।इनमें से एक मामला प्रतिवादी नंबर 5-श्री बिक्रमजीत सिंह के खिलाफ था। दूसरा मामला पंजाब क्रिकेट संघ को भूमि हस्तांतरण से संबंधित था।अगले दिन अर्थात। 26 फरवरी, 1997 को याचिकाकर्ता ने दोपहर लगभग 3 बजे मुख्यमंत्री को क्रिकेट संघ को भूमि हस्तांतरण से संबंधित फाइल सौंपी।

(19) ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रतिवादीगण को दोनों मामलों के दर्ज होने के बारे में पता चला तो वे खुश नहीं थे।तुरंत, 26 फरवरी, 1997 को पंजाब के मुख्य सचिव, प्रत्यर्थी संख्या 4, श्री आर. एस. मान ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया।27 फरवरी, 1997 को ट्रिब्यून में प्रकाशित रिपोर्ट की एक प्रति रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी. 1 के रूप में प्रस्तुत की गई है।यह बताया गया था कि दोनों अधिसूचनाएं सरकार को शर्मिंदा करने के लिए जारी की गई थीं।सरकार श्री खन्ना के खिलाफ जो भी सजा या अनुशासनात्मक कार्रवाई (सख्त और कठोर) संभव होगी, उसे लागू करेगी क्योंकि यह जानबूझकर प्रतिशोध के साथ कार्रवाई करने का प्रयास था।" रिपोर्ट के अनुसार, यह "शायद, पंजाब के इतिहास में पहली बार था और किसी मुख्य सचिव या राज्य सरकार ने अपने ही अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई को मामला भेजा था।" यह अभी भी खुलासा किया गया था कि सरकार ने "अब उन अधिसूचनाओं को वापस ले लिया है, रद्द कर दिया है या जिन्हें तकनीकी रूप से रद्द कहा जाता है।"

(20) पंजाब राज्य के वकील द्वारा अदालत को दी गई फाइलों के उद्धरणों के संकलन से पता चलता है कि पंजाब क्रिकेट संघ को भूमि के आवंटन से संबंधित फाइल भी 26 फरवरी, 1997 को मुख्य सचिव को उपलब्ध हो गई थी।27 फरवरी, 1997 को एक नोट दर्ज किया गया था

प्रधान सचिव, सतर्कता, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि -—

> "पूरा मामला गंभीर कानूनी दुर्बलताओं से ग्रस्त है और लिया गया निर्णय सही नहीं लगता है और दुर्भावनापूर्ण विचारों पर आधारित है।इस मामले में घटनाएँ पूरी तरह से श्री बिक्रमजीत सिंह, पी. एस. सी. एम. से संबंधित मामले के समान हैं। रिकॉर्ड और दोषपूर्ण/दुर्भावनापूर्ण निर्णय को ध्यान में रखते हुए, हम सीबीआई से मामला वापस ले सकते हैं और 7 फरवरी, 1997 को जारी अधिसूचना को रद्द कर सकते हैं।यदि सी. एस./सी. एम. प्रस्ताव से सहमत होते हैं, तो पहले की अधिसूचना को रद्द करने के लिए नीचे दी गई अधिसूचना का मसौदा तुरंत जारी किया जा सकता है।"

(21) ऐसा प्रतीत होता है कि यह नोट मुख्य सचिव श्री मान और उसके बाद मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल के समक्ष रखा गया था, जिन्होंने कहाः

> "पिछले दो दिनों में एक से अधिक मौकों पर मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता के साथ इस पर चर्चा की गई है, साथ ही इसी तरह के एक अन्य मामले, जिसमें पी. एस. सी. एम. श्री बिक्रमजीत सिंह के खिलाफ जांच के लिए सी. बी. आई. का संदर्भ शामिल है। दूसरे मामले की तरह, तत्कालीन सी. एस./सी. एम. की कार्रवाई से स्पष्ट रूप से द्वेष, प्रतिशोध और स्थापित मानदंडों और प्रक्रिया का घोर उल्लंघन होता है।तदनुसार, मैं पृष्ठ 6 पर 'एक्स' पर पीएसवी के सुझाव का समर्थन करता हूं।
>
> एसडी/-
> आर. एस. मान
> सीएस/27.2
> सीएम एसडी/-
> प्रकाश सिंह/27.2 "

(22) 28 फरवरी, 1997 को प्रधान सचिव सतर्कता ने दर्ज किया कि अधिसूचना जारी कर दी गई है।

(23) 5 मार्च, 1997 को सतर्कता विभाग के प्रधान सचिव श्री सुरजीत सिंह ने वित्त, आवास और शहरी विकास और खेल विभागों को एक गुप्त पत्र भेजकर अनुरोध किया कि "मोहाली में क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए पुडा द्वारा भूमि के आवंटन, पुडा/राज्य सरकार द्वारा धन के वितरण या कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी जो आपके पास या आपके विभाग के पास या इसके किसी भी वैधानिक संगठन के पास उपलब्ध हो, के संबंध में सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड भेजें। आपके विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाले निगमों, वैधानिक निकायों, पंजीकृत समितियों सहित।" यह आगे देखा गया कि "राज्य सरकार आई. डी. 1 को जारी रखने में देरी या अन्यथा के संबंध में सी. बी. आई. के साथ पत्राचार कर रही है, इसलिए सलाह दी जाती है कि यदि सी. बी. आई. का कोई अधिकारी संबंधित अधिकारियों के रिकॉर्ड या किसी भी जांच के लिए आपसे संपर्क करता है, तो उसे कृपया सतर्कता विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग से संपर्क करने की सलाह दी जा सकती है।"

(24) ऐसा प्रतीत होता है कि अगले दिन। 6 मार्च, 1997 को राज्य सरकार द्वारा निदेशक, सी. बी. आई. को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि -

> "जब तक पंजाब सरकार के आदेश जारी किए जाते हैं और कायम रहते हैं, तब तक पंजाब सरकार अपने आदेशों को लागू करने के लिए अपनी मशीनरी का उपयोग करने के लिए बाध्य है।यह आशा की जाती है कि सी. बी. आई. आगे की जांच पर जोर देकर अपने और पंजाब सरकार के लिए कोई अप्रिय स्थिति पैदा नहीं करेगी।
>
> इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप श्री बिक्रमजीत सिंह के मामलों की जांच और पी. सी. ए. को पी. यू. डी. ए. द्वारा मोहाली में भूमि का हस्तांतरण तुरंत बंद कर दें। सरकार ने संबंधित पक्षों को सलाह दी है कि वे सी. बी. आई. को कोई भी रिकॉर्ड न

दें। आपको यह भी सलाह दी जाती है कि पंजाब सरकार के किसी भी अधिकारी के खिलाफ तुरंत जांच की दिशा में कोई भी कार्रवाई करने से बचें क्योंकि सहमति विशेष रूप से रद्द कर दी गई है।"

(25) यह राज्य सरकार द्वारा सी. बी. आई. के खिलाफ राज्य तंत्र का उपयोग करने की एक स्पष्ट धमकी थी।शायद पहली बार।उम्मीद है, आखिरी बार भी।

(26) 23 अप्रैल, 1997 को स्वर्गीय न्यायमूर्ति श्री वर्णम सिंह के पुत्र श्री गुरबीर सिंह ने एक जनहित याचिका के माध्यम से 1997 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 5428 दायर किया।उन्होंने प्रार्थना की कि राज्य सरकार को मामले में प्रतिवादी संख्या 4 और 5 श्री आर. एस. मान और श्री बिक्रमजीत सिंह सहित अधिकारियों को निलंबित करने या उन्हें तब तक छुट्टी पर भेजने का निर्देश जारी किया जाए जब तक कि "सी. बी. आई. उनके खिलाफ जांच पूरी नहीं कर लेती।" इस अदालत की एक खंड पीठ ने अंततः 23 जुलाई, 1997 को रिट याचिका को स्वीकार कर लिया था।मामले का निर्णय लेते समय पीठ द्वारा पारित आदेशों का संदर्भ उचित स्तर पर दिया जाएगा।

(27) एक दिन बाद, एल. टी. एन. 24 अप्रैल, 1997 को याचिकाकर्ता को ए. टी. ई. जी. एम. पी. जी. एन. डी. जे. सी. पत्रक जारी किया गया।इसकी एक प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक पी. 3 के रूप में प्रस्तुत की गई है।याचिकाकर्ता को 21 दिनों के भीतर अपना जवाब देने के लिए कहा गया था।उनके खिलाफ उन आरोपों पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया गया था जो "दुराचार के आरोप के बयान पर आधारित थे।" दुराचार के आरोप का बयान इस प्रकार हैः—

> "श्री वी. के. खन्ना, आई. ए. एस. ने पंजाब सरकार में मुख्य सचिव के रूप में तैनात रहते हुए दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम में दो अधिसूचनाएं जारी कीं, जो सी. बी. आई. को दो मामलों की जांच करने का अधिकार देती हैं।—
>
> (i) श्री बिक्रमजीत सिंह, आई. ए. एस. द्वारा आय के ज्ञात साधनों के अनुपात से अधिक परिसंपत्तियों का अधिग्रहण; और
>
> (ii) पंजाब क्रिकेट संघ को भूमि और धन का आवंटन।
>
> सी. बी. आई. ने इन दोनों मामलों में एफ. आई. आर. दर्ज की।इन मामलों को निपटाने में, श्री वी. के. खन्ना, आई. ए. एस. ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया और सरकारी कामकाज के स्थापित मानदंडों और प्रक्रियाओं का घोर उल्लंघन किया और अखिल भारतीय सेवा नियमों, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा के सिद्धांतों और एक वरिष्ठ सिविल सेवक से अपेक्षित उच्च नैतिकता की घोर अवहेलना की।

(2) श्री वी. के. खन्ना, आई. ए. एस. ने मामलों को अनुचित जल्दबाजी और अनुचित ब्याज के साथ निपटाया, न कि मामलों की प्रकृति से प्रेरित होकर।यह निम्नलिखित द्वारा प्रदर्शित किया जाता हैः—

(i) भले ही चुनाव चल रहे थे और 7 फरवरी को मतदान हुआ था और तत्कालीन सी. एम. चंडीगढ़ से दूर अपने निर्वाचन क्षेत्र में थी, लेकिन अधिकांश कार्रवाई 6 फरवरी और 7 फरवरी को पूरी की गई थी, जो कि छुट्टी थी।समाचार पत्रों ने 6 फरवरी को चंडीगढ़ और लेहरागागा के बीच तीन बार यात्रा की।

(ii) न तो 6 फरवरी के अपने पहले नोट में और न ही उसी दिन के अपने दूसरे नोट में सी. एम. ने निर्देश दिया कि मामलों को तेज गति से संभाला जाना चाहिए।

(iii) 7 फरवरी को जारी की गई वैधानिक अधिसूचनाओं को न तो पंजाब सरकार के कार्य नियमों के अनुसार एल. आर. को भेजा गया था और न ही उन्हें कानून द्वारा आवश्यक राजपत्र के लिए भेजा गया था।

(3) श्री वी. के. खन्ना, आई. ए. एस. ने रिकॉर्ड को पूर्ववत और मनगढ़ंत बनाया।कुछ कार्य/नोटिंग, जो 6 और 7 फरवरी, 1997 को किए गए थे, वास्तव में 8 फरवरी, 1997 को किए गए थे।यह श्री सुरजीत सिंह, आई. ए. एस., प्रधान सचिव, सतर्कता द्वारा की गई एक तथ्यान्वेषी जांच द्वारा स्थापित किया गया है।निदेशक, सी. बी. आई. को संबोधित अधिसूचनाएँ और पत्र जारी किए गए और निदेशक को भेजे गए।सी. बी. आई. 8 फरवरी, 1997 ए. एन. के बाद किसी भी समय और 7 फरवरी, 1997 को पूर्व निर्धारित किया गया था।

(4) श्री वी. के. खन्ना, आई. ए. एस. ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से पूरे अभियान को तब तक गुप्त रखा जब तक कि सी. बी. आई. ने सभी औपचारिकताएं पूरी नहीं कर लीं और एफ. आई. आर. दर्ज नहीं कर ली। यह निम्नलिखित तथ्यों/घटनाओं से प्रदर्शित होता है:—

(i) इन मामलों से संबंधित सभी कागजात सी. एस. के निजी कर्मचारियों से छीन लिए गए थे और सी. बी. आई. को अधिसूचना और पत्रों की डिलीवरी सहित पूरी तरह से श्री खन्ना द्वारा स्वयं संभाले और रखे गए थे।

(ii) उन्होंने फाइलों को ले लिया और उन्हें 24 फरवरी, 1997 की रात तक एक मामले में और 26 फरवरी, 1997 को दूसरे मामले में रखा, जबकि सी. बी. आई. ने 25 फरवरी, 1997 को मामले दर्ज किए।

(iii) उन्होंने नई सरकार के गठन के बाद नए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को इन दो संवेदनशील मामलों के बारे में कुछ नहीं बताया, हालांकि उन्होंने मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभालने से पहले कई बार औपचारिक और अनौपचारिक रूप से उनसे मुलाकात की।

(iv) जब 14 फरवरी, 1997 को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में श्री बिक्रमजीत सिंह, आई. ए. एस. की नियुक्ति के लिए फाइल सी. एम. के समक्ष रखी गई थी, जबकि उनके खिलाफ सतर्कता जांच लंबित थी, तो इस सबसे प्रासंगिक तथ्य का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था कि एक सप्ताह से भी कम समय पहले उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला सी. बी. आई. को भेजा गया था-एक तथ्य जो केवल श्री खन्ना को पता था।

और जो उनके द्वारा इसमें ली गई असामान्य रुचि को देखते हुए उनके दिमाग में बहुत ताजा रहा होगा।

(5) श्री वी. के. खन्ना, आई. ए. एस., मुख्य सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन करने में विफल रहे, जब 14 फरवरी, 1997 को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में श्री बिक्रमजीत सिंह की नियुक्ति से संबंधित फाइल सी. एम. के सामने रखते हुए, उन्होंने महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य दर्ज नहीं किया कि श्री बिक्रमजीत सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला केवल एक सप्ताह पहले ही सी. बी. आई. को भेजा गया है।

(6) श्री वी. के. खन्ना, आई. ए. एस. ने फाइलों में गलत तरीके से दर्ज किया कि इन मामलों में महाधिवक्ता से परामर्श किया गया था।वास्तव में, ऐसा कोई परामर्श नहीं हुआ।

(7) श्री वी. के. खन्ना, आई. ए. एस. ने 14 फरवरी, 1997 को मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभालने के बाद ए. एन. ने 15 फरवरी, 1997 को उपरोक्त दो मामलों की दो फाइलें सतर्कता विभाग के एक अधिकारी को वापस कर दीं।उसी दिन उन्होंने बिना किसी अधिकार के दोनों फाइलों को तलब किया और गलत उद्देश्यों के साथ उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रखा।उन्होंने याचिका पर दोनों फाइलों को याद किया कि फाइलों को अत्यधिक गुप्त प्रकृति की होने के कारण अतिरिक्त सचिव, सतर्कता को सौंप दिया जाएगा।लेकिन दोनों फाइलों को 24 और 26 फरवरी, 1997 को वापस कर दिया गया। इसलिए, वह मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार सौंपने के बाद इन दोनों फाइलों के अनधिकृत कब्जे में रहे।

(8) श्री वी. के. खन्ना, आई. ए. एस. ने पी. सी. ए. मामले में 6 फरवरी, 1997 के अपने नोट

और उसी तारीख के तत्कालीन सी. एम. के नोट में किए गए दावों और आरोपों को सत्यापित करने का कोई उचित प्रयास नहीं किया।मामले में कोई उचित प्रारंभिक जांच नहीं की गई थी और न ही उन लोगों को समझाने का कोई अवसर दिया गया था जो निर्णय से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते थे।सिविल सेवक द्वारा इस तरह के किसी भी निर्णय के लिए ये सबसे प्राथमिक पूर्वापेक्षाएँ हैं।पूर्ण तथ्यों का पता लगाने के लिए कोई गंभीर प्रभाव नहीं डाला गया।जबकि रिकॉर्ड से पता चलता है कि नाममात्र की कीमत पर भूमि देने और धन जारी करने के निर्णय में आवास बोर्ड/पुडा, वित्त विभाग और तत्कालीन सी. एम. की स्पष्ट और बार-बार पुष्टि की गई थी और जबकि मंत्रिपरिषद और यहां तक कि विधानसभा ने भी इन निर्णयों का स्पष्ट रूप से समर्थन किया था, इनमें से कोई भी तथ्य नहीं है, फाइल पर लाया गया था।उनका पूरा आचरण दुर्भावनापूर्ण और पूर्व नियोजित था और उनमें निहित अधिकार का पूर्ण दुरुपयोग था।

(9) श्री वी. के. खन्ना, आई. ए. एस. ने इन मामलों को सी. बी. आई. को भेजने में भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव संहिता का उल्लंघन किया।उन्होंने 10 फरवरी, 1997 को मुख्य सचिव के रूप में स्वयं द्वारा जारी किए गए सरकारी निर्देशों का भी उल्लंघन किया, जिसके तहत यह निर्धारित किया गया था कि सरकार के आसन्न परिवर्तन को देखते हुए, सचिवों द्वारा सरकार को किसी भी महत्वपूर्ण मामले का निपटारा नए मंत्रियों को दिखाए बिना नहीं किया जाना था, जो जल्द ही पदभार संभालने वाले थे।श्री वी. के. खन्ना द्वारा दिए गए ध्यान से यह साबित होता है कि ये दोनों मामले महत्वपूर्ण थे। वास्तव में, श्री वी. के. खन्ना का स्पष्ट इरादा था कि नए मंत्रालय के कार्यभार संभालने से पहले इन मामलों में सभी कार्रवाई पूरी की जाए।श्री वी. के. खन्ना 14 फरवरी, 1977 को देर से मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभालने तक इन मामलों को नए मुख्यमंत्री की जानकारी/अनुमोदन के लिए रखने में विफल रहे।"

(28) इस आरोप पत्र की प्राप्ति पर, याचिकाकर्ता ने 28 अप्रैल से 13 मई, 1997 की अवधि के दौरान अधिकारियों से कुछ दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करने का अनुरोध करते हुए आवेदन प्रस्तुत किए।इन्हें सामूहिक रूप से रिट याचिका के साथ अनुबंध पी. 5 और पी. 6 के रूप में दर्ज किया गया है।यह अनुरोध आरोप पत्र में दी गई शर्त के अनुरूप था।सरकार ने जवाब दिया-26 मई, 1997 के पत्र के माध्यम से।याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि "श्री आर. एस. मान, आई. ए. एस. और सुश्री तेजिंदर कौर के खिलाफ राष्ट्रीयकृत बैंकों से ए. एम. आर. ओ. बैंक में आवास बोर्ड के धन के हस्तांतरण से संबंधित सतर्कता जांच से संबंधित फाइल आपको उपलब्ध नहीं कराई जा सकती क्योंकि यह आरोप पत्र के लिए कहीं भी प्रासंगिक नहीं है।" अन्य फाइलों के संबंध में, उन्हें सूचित किया गया था कि यदि जांच अधिकारी द्वारा प्रासंगिक घोषित किया जाता है, तो इन्हें जांच के दौरान दिखाया जाएगा।" इस संचार की एक प्रति रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी. 7 के रूप में दर्ज है।संभवतः, याचिकाकर्ता के अनुरोध पर निर्णय में देरी के कारण, आरोप पत्र का जवाब प्रस्तुत करने के लिए उसे दिया गया समय 16 जून, 1997 तक बढ़ा दिया गया था।

(29) 24 अप्रैल, 1997 को आरोप पत्र जारी होने के तुरंत बाद और इससे पहले कि याचिकाकर्ता जवाब दे पाता, मुख्यमंत्री ने 27 अप्रैल, 1997 को घोषणा की कि "उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश श्री वी. के. खन्ना, पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों की जांच करेगा।

सी. एस., पंजाब, सरकार द्वारा उन्हें सौंपे गए आरोप पत्र पर उनका जवाब प्राप्त होने के बाद।" प्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट की एक प्रति रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी. 4 के रूप में प्रस्तुत की गई है।यह ध्यान देने योग्य है कि यह घोषणा याचिकाकर्ता को आरोप पत्र जारी होने के केवल 3 दिन बाद की गई थी।सरकार ने याचिकाकर्ता को जवाब देने के लिए 21 दिनों का समय दिया था।

(30) 5 जून, 1997 को याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ आरोप पत्र को रद्द करने का अनुरोध करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया।उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि 26 मई, 1997 का ज्ञापन, जिसके द्वारा दस्तावेजों की प्रतियों को अस्वीकार कर दिया गया था, रद्द कर दिया जाए।न्यायाधिकरण द्वारा उनके दावे को खारिज किए जाने के बाद,

याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की है।यह आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री ने "अनुशासनात्मक आरोप पत्र शुरू करने का निर्णय लेने के लिए अपना दिमाग नहीं लगाया है, यह दोनों मामलों को सी. बी. आई. को भेजे जाने का सीधा परिणाम है।" याचिकाकर्ता प्रार्थना करता है कि 'न्यायाधिकरण के आदेश को दरकिनार कर दिया जाए और आरोप पत्र को रद्द कर दिया जाए।

(31) प्रत्यर्थी संख्या 1, भारत संघ की ओर से कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया है।सुनवाई के दौरान उसकी ओर से कोई पेश नहीं हुआ।इस प्रकार, इसके बाद प्रतिवादीगण के किसी भी संदर्भ में यू. ओ. आई. शामिल नहीं होगा।

(32) पंजाब राज्य की ओर से कार्मिक सचिव द्वारा लिखित बयान दाखिल किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दोनों मामलों को सीबीआई को भेजने के लिए नहीं, बल्कि ऐसा करने में उसके आचरण के लिए दायर किया गया है।उन पर अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर आरोप पत्र दायर किया गया है कि उन्होंने सरकारी कामकाज के स्थापित मानदंडों और प्रक्रिया का घोर उल्लंघन करते हुए, निष्पक्षता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और उच्च नैतिकता के मानदंडों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया। याचिकाकर्ता पर दोनों मामलों की ठीक से जांच नहीं करने और मामलों की प्रकृति से प्रेरित होकर अनुचित जल्दबाजी न करने के लिए आरोप पत्र दायर किया गया है।उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, पूरे ऑपरेशन को पूरी तरह से गुप्त रखा।उन्होंने नए मुख्यमंत्री और नए मुख्य सचिव को इसकी जानकारी नहीं दी।मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में श्री बिक्रमजीत सिंह की नियुक्ति से संबंधित फाइल में, भले ही यह दर्ज किया गया था कि अधिकारी के खिलाफ सतर्कता जांच लंबित है, लेकिन सीबीआई द्वारा जांच के लिए अधिसूचना के बारे में तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया था, इतना कि उन्होंने सौंपने के बाद भी दोनों फाइलों को अपनी निजी हिरासत में रखा।

मुख्य सचिव के रूप में प्रभार पर।" याचिका में किए गए विभिन्न कथनों का खंडन किया गया है।यदि आवश्यक हो तो संबंधित स्तर पर विस्तृत संदर्भ दिया जाएगा।

(33) मुख्यमंत्री पद के मंत्री एस. प्रकाश सिंह बादल ने भी एक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल किया है।अन्य बातों के साथ यह भी कहा गया है कि उन्होंने "अपने स्वतंत्र दिमाग को लागू करने और सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ता को आरोप पत्र जारी करने का आदेश दिया था।" यह भी कहा गया है कि "याचिकाकर्ता के खिलाफ उनका कोई व्यक्तिगत द्वेष या दुर्भावना नहीं है"

(34) प्रत्यर्थी संख्या 4, श्री आर. एस. मान द्वारा दायर उत्तर में, यह अन्य बातों के साथ कहा गया है कि याचिका अपरिपक्व है।याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय जांच जारी है।याचिका में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को याचिकाकर्ता द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष उठाया गया है।" याचिकाकर्ता पहले ही आरोपों का जवाब दाखिल कर चुका है।यह भी बताया गया है कि यह सुझाव कि प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ प्राथमिकी लंबित है या याचिकाकर्ता के खिलाफ उस कारण से आरोप पत्र दायर किया गया है, गलत है।याचिका में किए गए कई अन्य कथनों का भी खंडन किया गया है।

(35) प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा दायर जवाब में याचिकाकर्ता द्वारा अधिग्रहित संपत्तियों की सूची दी गई है।यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने अपने पद का दुरुपयोग करके बड़ी संपत्ति अर्जित की थी।" उनकी संपत्तियों आदि के बारे में जानकारी दी गई है।प्रतिवादियों ने आगे बताया है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पूछताछ अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और याचिकाकर्ता तथ्यात्मक स्थिति को साबित करने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व कर सकता है।

(36) उपरोक्त उल्लिखित अभिवचनों के अलावा, याचिकाकर्ता ने एक प्रतिकृति दायर की है, जिसका प्रतिवादियों ने अपने प्रत्युत्तर दाखिल करके जवाब दिया है।

(37) यह घटनाओं का क्रम है।

(38) याचिकाकर्ता के वकील श्री डी. एस. नेहरा ने तर्क दिया कि सी. बी. आई. द्वारा दर्ज

मामलों और याचिकाकर्ता को जारी किए गए आरोप पत्र के बीच एक "अटूट संबंध" है।वकील के अनुसार, यह "प्रतिशोध का एक विशिष्ट मामला है।" अभियुक्तों का वास्तविक उद्देश्य जाँच को रोकना और बचाव करना था।उत्तरदाता संख्या 4 और 5 प्रमुख पदों पर थे।वे मुख्यमंत्री के साथ अपनी निकटता के कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर कराने में कामयाब रहे थे।वकील ने कहा कि प्रतिवादीगण ने दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया था।यह एक शक्ति का रंगीन अभ्यास था ।आदेश रद्द किए जाने के योग्य था।दूसरा, वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादीगण ने याचिकाकर्ता को दस्तावेजों की प्रतियों से इनकार कर दिया था और आरोप पत्र का जवाब देने से पहले ही पूछताछ अधिकारी को नियुक्त कर दिया था।कार्यवाही "कैमरे में" की जा रही थी।" एक उचित अवसर भी नहीं दिया जा रहा था।जाँच अधिकारी द्वारा भी दस्तावेजों की प्रतियों को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि ये प्रासंगिक नहीं थे।श्री आर. एस. दास, सेवा के एक सेवानिवृत्त सदस्य, जो अब एक वकील हैं, की सहायता की अनुमति नहीं दी गई थी।जब याचिकाकर्ता ने पूछताछ अधिकारी से कार्मिक मंत्रालय से श्री हरिंदर सिंह को अनुमति देने के लिए कहने का अनुरोध किया, तो संयुक्त सचिव ने मदद के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।वकील ने 1998 के सीएम नंबर 17188 में प्रतिकृति के पैराग्राफ 4 में लगाए गए आरोपों का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि जांच अधिकारी निष्पक्ष रूप से आगे नहीं बढ़ रहा था।इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि आरोप पत्र भी किसी भी कदाचार का खुलासा नहीं करता है ताकि किसी भी जांच की आवश्यकता हो।यह केवल सी. बी. आई. द्वारा दर्ज नियमित मामलों के लिए बचाव करने का एक उपकरण है। यह दिखाने का भी एक हल्का प्रयास किया गया कि राज्य सरकार के पास अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और इस शक्ति का प्रयोग केवल केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता था।

(39) श्री राजिंदरा सच्चर, जो 3 सेंट पंजाब के लिए उपस्थित थे, ने याचिकाकर्ता की ओर से किए गए दावे का विरोध किया।यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता ने अभद्र जल्दबाजी और बुरे विश्वास के साथ काम किया था।'प्रारंभिक जांच की गई।श्री. सुरजीत सिंह ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें संकेत दिया गया था कि रिकॉर्ड मनगढ़ंत था और दस्तावेजों को पुराना कर दिया गया था।विधानसभा के चुनाव होने के बाद, याचिकाकर्ता को "अपने (मुख्यमंत्री के) निर्देशों पर आगे की कार्रवाई रोकनी चाहिए थी।" उन्होंने आगे तर्क दिया कि सरकार ने अभी तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।इसने केवल विभागीय जांच शुरू की थी।याचिकाकर्ता के पास कार्रवाई का कोई कारण नहीं था।न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता के दावे को सही ढंग से खारिज कर दिया था।इस प्रकार, हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनाया गया था।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप उस मुद्दे से अलग हैं, जो सी. बी. आई. द्वारा दर्ज मामलों में उत्पन्न होते हैं। कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं बनाया गया है।वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कार्य नियमों के नियम 48 का उल्लंघन किया है।यह मामला सी. बी. आई. के पास जांच के लिए लंबित नहीं था। इस प्रकार, कार्यवाही को रद्द करने या यहां तक कि रोक लगाने का कोई आधार नहीं बनाया गया।

(40) श्री बिक्रमजीत सिंह के वकील श्री मोहिंदरजीत सिंह सेठी ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 5 को पहले ही आय से अधिक संपत्ति के आरोप से बरी कर दिया गया था-तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बेअंत सिंह द्वारा 13 दिसंबर, 1994 को पारित व्यापक आदेश।याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री को इस तथ्य की ओर इशारा नहीं करके अनुचित व्यवहार किया था।यह भी सुझाव दिया गया था कि याचिकाकर्ता के पास आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति है।उनका नाम नौकरशाहों की सूची में मिलता है, जिन पर सीबीआई के जाल में होने का आरोप लगाया गया था। पाँचवाँ प्रतिवादी वास्तव में एक पीड़ित है और अपराधी नहीं है।उन्होंने मामले को नहीं संभाला था। उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप पूरी तरह से निराधार हैं।

(41) श्री प्रकाश सिंह बादल, मुख्यमंत्री और श्री आर. एस. मान, मुख्य सचिव, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 की ओर से श्री दीपक सिब्बल पेश हुए।विद्वान वकील ने बताया कि चौथा प्रतिवादी सी. बी. आई. द्वारा दर्ज मामलों में अभियुक्त व्यक्ति नहीं है। दुर्भावनापूर्ण आरोपों का खंडन किया गया है।महाधिवक्ता के परामर्श के बाद आरोप पत्र जारी किया गया था।इस आधार पर, वकील ने कहा कि

हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनाया गया था।

(42) अधिवक्ता द्वारा उठाए गए अभिवचनों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए, विचार के लिए जो प्रश्न उठते हैं वे हैं:—

(1) क्या प्रतिवादीगण ने विवादित आरोप पत्र जारी करने और याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच की कार्यवाही शुरू करने में ईमानदारी से काम किया है?

(2) क्या आरोप-पत्र में किसी भी कदाचार का खुलासा किया गया है, जिससे याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच की आवश्यकता हो सकती है?क्या याचिकाकर्ता को एक उचित अवसर से वंचित किया गया था?

(3) क्या राज्य सरकार के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है?

(4) क्या केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने में गलती की है?

(5) क्या रिट अदालत मामले के इस चरण में कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकती है?

(6) क्या कार्रवाई प्रतिबंधित है?

(43) निर्विवाद रूप से, कर्तव्य ऋण के समान है।इसे बिना किसी देरी या विलंब के निर्वहन किया जाना चाहिए।एक सिविल सेवक को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से और अपनी क्षमता के अनुसार पालन करना चाहिए।उसे नियमों का पालन करना चाहिए। उसे सेवा के अनुशासन के अनुसार जीना चाहिए।उसे बिना किसी भय या पक्षपात के कार्य करना चाहिए।उसे जनहित को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए।उसे किसी वरिष्ठ द्वारा दिए गए वैध निर्देशों का पालन करना चाहिए।वास्तव में, भारत के संविधान में एक अध्याय है जो इस देश के नागरिकों के कर्तव्यों को बताता है।अनुच्छेद 51-ए में एक सकारात्मक अधिदेश है।इसके लिए प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़ सके।" यह प्रावधान प्रत्येक नागरिक के लिए प्रकाशस्तंभ और प्रत्येक सिविल सेवक के लिए "मंत्र" हो सकता है।जब तक वह संविधान द्वारा लगाए गए इस कर्तव्य का पालन करता है और उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करता है, तब तक उसके पास डरने की कोई बात नहीं है।यहाँ तक कि भगवान भी उनके साथ होंगे।

(44) साथ ही यह निर्विवाद रूप से सच है कि जब भी सिविल सेवक द्वारा कर्तव्यों के पालन में लापरवाही होती है, तो राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने और दोषियों को दंडित करने का अधिकार है।यह निस्संदेह राज्य का विशेषाधिकार है।लेकिन, प्रोफेसर वेड के शब्दों को उधार लेने के लिए, इस शक्ति का उपयोग "के लिए" किया जाना चाहिए•सार्वजनिक भलाई।" प्राधिकारी की कार्रवाई निष्पक्ष और तर्कसंगत होनी चाहिए।यह प्रामाणिक होना चाहिए।यह मनमाना नहीं होना चाहिए।यह बाहरी विचारों पर आधारित नहीं होना चाहिए।यह जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। पक्षपात या व्यक्तिगत द्वेष को इसे कलंकित नहीं करना चाहिए।बियास एक कप शुद्ध दूध में जहर की बूंद की तरह है।यह इसे बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है।जरा सा भी पूर्वाग्रह पूरी कार्रवाई को दूषित कर देगा।

(45) वर्तमान मामले में क्या स्थिति है?

(46) उपरोक्त घटनाओं के क्रम से पता चलता है कि मुख्यमंत्री श्रीमती राजिंदर कौर भट्टल ने याचिकाकर्ता से कुछ जानकारी मांगी थी।उन्होंने इसकी आपूर्ति की थी।उन्होंने फाइलें रखी थीं, इसके बाद 6 फरवरी, 1997 को उन्होंने मामले की जांच के बाद उन्हें मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो को भेजने का निर्देश दिया था।दो मामलों में से एक में, निर्देश था कि "संदर्भ तुरंत दिया जाए।" याचिकाकर्ता ने दोनों मामलों में निर्देशों का पालन किया था।उन्होंने ईमानदारी से और तुरंत जनादेश को पूरा किया।उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा पारित आदेशों का बिना किसी हिचकिचाहट के पालन किया

था।

(47) सरकार बदलने के बाद जिस अधिकारी के खिलाफ सी. बी. आई. ने मामला दर्ज किया था, वह मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बन जाता है।इसके तुरंत बाद, याचिकाकर्ता पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से मामलों को निपटाने का आरोप लगाया जाता है।उन पर "स्थापित मानदंडों और प्रक्रिया का घोर उल्लंघन" करने का भी आरोप लगाया गया है।" यह आरोप लगाया गया है कि अखिल भारतीय सेवा नियमों, वस्तुनिष्ठता के सिद्धांतों, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और एक वरिष्ठ सिविल सेवक से अपेक्षित उच्च नैतिकता की अवहेलना की।कैसे?क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आदेशों की अवज्ञा नहीं की?या पूरा शोर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि याचिकाकर्ता की कार्रवाई विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के अनुरूप नहीं थी?

(48) नए मंत्रालय ने 12 फरवरी, 1997 को शपथ ली थी।मुख्यमंत्री 14 फरवरी, 1997 को (संभवतः पहली बार) कार्यालय में उपस्थित हुए थे।उन्होंने प्रतिवादी संख्या 4 और 5 को क्रमशः मुख्य सचिव और प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त करने के लिए लिखित आदेश पारित किए थे।यह बताया गया कि राज्य में 10 अधिकारी थे जो प्रतिवादी संख्या 4 से वरिष्ठ थे।वास्तव में, पंजाब राज्य के वकील द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि प्रतिवादी संख्या 4 वरिष्ठता सूची में 14 वें स्थान पर था।13 वरिष्ठ अधिकारी थेःउसे।उनके खिलाफ कुछ भी नहीं था।कम से कम, कुछ भी कभी इंगित नहीं किया गया था।फिर भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया।क्यों?

(49) याचिकाकर्ता के वकील ने आग्रह किया कि मुख्यमंत्री ने प्रतिवादी नंबर 4 को मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया था क्योंकि वह उनसे संबंधित है।वास्तव में, इस संबंध से इनकार नहीं किया गया था।वास्तव में, श्री सच्चर ने बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि श्री मान श्री बादल के रिश्तेदार हैं।हालाँकि, भले ही संबंधों के पहलू को नजरअंदाज कर दिया जाए, लेकिन तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या 4 को बड़ी संख्या में अधिकारियों को हटाकर मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, यह भी एक स्वीकृत स्थिति है कि छह अधिकारियों को मुख्य सचिव के पद के लिए निर्धारित वेतनमान में रखा जाना था क्योंकि उन्हें हटाने का कोई उचित कारण नहीं था।मुख्यमंत्री के लिए ऐसा करना या अपनी पसंद के व्यक्ति को नियुक्त करना कानूनी रूप से अनुज्ञेय हो सकता है।हालांकि, सवाल अभी भी बना हुआ है-क्या यह प्रशासनिक रूप से उचित और नैतिक रूप से उचित था?विशेष रूप से जब कार्रवाई में राज्य के खजाने पर एक अतिरिक्त और टालने योग्य वित्तीय बोझ शामिल था।क्या पूरी तरह से अनुचित अधिनिर्णय प्रशासनिक रूप से अवांछनीय या कम से कम अनुचित नहीं होगा?इससे भी अधिक, जब व्यक्ति रिश्तेदार होता है?तथ्य अपने लिए बोलते हैं।जवाब का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है।

(50) इसी तरह, प्रतिवादी संख्या 5 को भी प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, भले ही नोट में कहा गया था कि उनके खिलाफ "कथित पक्षपात और भ्रष्टाचार की दो शिकायतें" लंबित थीं।क्यों?व्यक्तिगत पसंद?क्या यह सत्ता का एक वास्तविक प्रयोग था?यदि हां, तो अधिकारी को थोड़ी देर बाद दूसरे पद पर क्यों स्थानांतरित कर दिया गया?कारणों की कल्पना करना मुश्किल नहीं है।

(51) तीसरा, सी. बी. आई. द्वारा दो मामलों के दर्ज होने के बारे में पता चलने पर, प्रतिवादी संख्या 4 ने 26 फरवरी, 1997 को एक संवाददाता सम्मेलन में तुरंत घोषणा की थी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ "सख्त और कठोर" अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।वास्तव में, बहुत कुछ कहा गया था।प्रत्यर्थी के वकील ने यह दावा नहीं किया कि उसे गलत तरीके से उद्धृत किया गया था।इसके बावजूद, सवाल अभी भी बना हुआ है कि चौथे उत्तरदाता ने अपने से वरिष्ठ व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के बारे में घोषणा कैसे की।क्या वह दंड देने का अधिकारी था?नहीं। क्या उन्होंने सार्वजनिक घोषणा करने से पहले सभी स्तरों पर अधिकारियों को सूचित किया था?या केवल मुख्यमंत्री सहित सभी की सहमति ली?किसी भी स्थिति में, यह हत्या के लिए एक पूर्व निर्धारित मन के आगे बढ़ने का संकेत है।

(52) यह बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण दोनों मामलों के दर्ज होने से बहुत

परेशान थे।उन्होंने प्रशंसा वापस करने का मन बना लिया था।चौथे प्रतिनिधि ने एक सार्वजनिक घोषणा की थी, जो शायद तब तक एक निजी निर्णय था।

(53) और फिर, दोनों अधिसूचनाओं को रद्द करने के लिए राज्य शक्ति का उपयोग किया गया।अभिलेख इंगित करता है कि छूट के बारे में घोषणा (कम से कम एक मामले में) सतर्कता के प्रधान सचिव द्वारा एक प्रस्ताव रखे जाने से पहले ही की गई थी।पंजाब राज्य के वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए कागजात से पता चलता है कि फाइल प्रधान सचिव (सतर्कता) द्वारा 27 फरवरी, 1997 को रखी गई थी।प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन अधिसूचना को रद्द करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया था। 26 फरवरी, 1997 को जब मुख्य सचिव श्री आर. एस. मान ने यह घोषणा की थी।एच. एफ. ई. ने यह कैसे किया?रिकॉर्ड से कुछ भी नहीं बताया गया था।

(54) इतना ही नहीं 5 मार्च, 1997 के पत्र के माध्यम से, विभिन्न विभागों को "मोहाली में क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए पुडा द्वारा भूमि के आवंटन, पुडा/राज्य सरकार द्वारा धन के वितरण या सरकार को उपलब्ध किसी भी अन्य प्रासंगिक जानकारी के लिए सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड" भेजने के लिए कहा गया था।विभागों को सलाह दी गई थी कि "यदि सी. बी. आई. का कोई अधिकारी रिकॉर्ड या संबंधित अधिकारियों की किसी भी जांच के लिए आपसे संपर्क करता है, तो उसे कृपया सतर्कता विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग से संपर्क करने की सलाह दी जा सकती है।" दूसरे शब्दों में, सभी को मौन रहने और अज्ञानता की गुहार लगाने की सलाह दी जा रही थी। क्यों?किसे बचाना पड़ा?क्या वापस रखा जाना था?

(55) इसके अलावा, राज्य सरकार ने सी. बी. आई. को "श्री बिक्रमजीत सिंह के मामलों की जांच और पी. सी. ए. को पी. यू. डी. ए. द्वारा मोहाली में भूमि हस्तांतरण को तुरंत बंद करने" की सलाह दी थी। इसके अलावा, निदेशक, सी. बी. आई. को अपने आदेशों को लागू करने के लिए राज्य तंत्र का उपयोग करने की एक स्पष्ट और स्पष्ट धमकी दी गई थी। उन्हें चेतावनी दी गई थी कि सी. बी. आई. को आगे की जांच पर जोर देकर अपने और पंजाब सरकार के लिए कोई अप्रिय स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए।उन्हें बताया गया कि "सरकार ने पक्षकारों को सलाह दी है कि वे सी. बी. आई. को कोई भी रिकॉर्ड न दें।"कम से कम कहने के लिए, यह कदम असाधारण और अभूतपूर्व था।

(56) इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सी. बी. आई. द्वारा जाँच को दबाने के लिए एक ठोस प्रयास किया जा रहा था। क्यों?यदि प्रतिवादीगण 4 और 5 निर्दोष थे, तो उन्हें डरने की कोई बात नहीं थी।न ही वे इतने नाराज होते, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण केवल सिद्धांतों की बात कर रहे हैं।वास्तव में, वे ब्याज पर काम कर रहे थे।यह तथ्य कि अभियुक्तों द्वारा जारी अधिसूचनाओं को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है और यह तथ्य कि सी. बी. आई. को जांच जारी रखने का निर्देश दिया गया था, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि राज्य सरकार की कार्रवाई कानूनी नहीं थी।फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि याचिकाकर्ता उनकी समस्याओं का कारण है।इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।श्री नेहरा की याचिका कि सी. बी. आई. द्वारा दर्ज मामलों और याचिकाकर्ता को जारी किए गए आरोप पत्र के बीच एक अटूट संबंध है, बिना योग्यता के प्रतीत नहीं होती है।

(57) जैसा कि ऊपर देखा गया है, प्रधान सचिव (वी. जी.) ने मुख्य सचिव के समक्ष सी. बी. आई. द्वारा जांच के संबंध में अधिसूचनाओं को वापस लेने का प्रस्ताव रखा था।27 फरवरी, 1997 को श्री मान ने इस प्रस्ताव का समर्थन इस टिप्पणी के साथ किया था कि "तत्कालीन मुख्य सचिव/मुख्यमंत्री की कार्रवाई से स्पष्ट रूप से द्वेष, प्रतिशोध और स्थापित मानदंडों और प्रक्रिया का घोर उल्लंघन होता है।" श्री बादल ने उसी दिन इस नोट को मंजूरी दे दी।क्या यह अभी भी कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में राज्य सरकार या प्रतिवादियों का दिमाग खुला है?क्या ऐसा नहीं है कि एक निष्कर्ष पहले ही दर्ज किया जा चुका था और 24 अप्रैल 1997 को आरोप पत्र जारी करके नियमों का पालन करने की औपचारिकता का पालन किया जा रहा था?वास्तव में पूछताछ करने के लिए क्या बचा है?

(58) एक अन्य तथ्य, जो उल्लेख करने योग्य है, वह यह है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर करते समय, उसे सूचित किया गया था कि "यदि वह अपना बयान तैयार करने के

उद्देश्य से, प्रासंगिक आधिकारिक रिकॉर्ड तक पहुंच प्राप्त करना चाहता है, तो उसे मामले में उसी का निरीक्षण करना चाहिए। पूर्व नियुक्ति करने के बाद किसी भी कार्य दिवस पर सतर्कता विभाग।आरोप पत्र, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, उन्हें 24 अप्रैल 1997 को जारी किया गया था।उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 21 दिनों का समय दिया गया था।हालाँकि, केवल तीन दिन बाद, 27 अप्रैल 1997 को मुख्यमंत्री ने स्वयं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जाँच अधिकारी के रूप में नियुक्ति के संबंध में एक बयान दिया था।प्रेस रिपोर्ट की एक प्रति अभिलेख पर अनुलग्नक पी. 4 के रूप में प्रस्तुत की गई है।आरोप-पत्र का जवाब देने का समय समाप्त होने से पहले ही ऐसा क्यों किया गया?मुख्यमंत्री ने उस समय की समाप्ति का भी इंतजार नहीं किया था जो याचिकाकर्ता को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अपना जवाब देने के लिए दिया गया था।बड़ी जल्दबाजी क्या थी? मुख्यमंत्री जांच अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में निर्णय की घोषणा करने से पहले कुछ दिनों तक इंतजार करने के लिए भी तैयार क्यों नहीं थे?वह भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में?याचिकाकर्ता ने निस्संदेह कहा है कि वह मुख्यमंत्री का बहुत सम्मान करते हैं।यह वास्तव में अच्छे प्रशिक्षण का प्रमाण है।फिर भी, तथ्य यह है कि मुख्यमंत्री की कार्रवाई निष्पक्षता की कसौटी को संतुष्ट नहीं करती है, जो एक प्रशासनिक आदेश सहित प्रत्येक राज्य की कार्रवाई की वैधता के लिए बहुत बुनियादी है।

(59) इसके अलावा, यह मुख्यमंत्री द्वारा एक आकस्मिक संवाददाता सम्मेलन में केवल एक आकस्मिक चूक नहीं थी।जब याचिकाकर्ता ने 30 अप्रैल, 1997 और 2 मई, 1997 के अपने पत्रों (जिनकी प्रतियों को सामूहिक रूप से अनुलग्नक पी. 5 और पी. 6 के रूप में रिकॉर्ड पर रखा गया है) के माध्यम से कुछ अभिलेखों के निरीक्षण की अनुमति के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया, तो स्टे सरकार ने 26 मई, 1997 के अपने पत्र के माध्यम से एक जवाब भेजा।उन्हें सूचित किया गया कि "श्री आर. एस. मान, आई. ए. एस. और सुश्री तेजिंदर कौर के खिलाफ राष्ट्रीयकृत बैंकों से ए. एम. आर. ओ. बैंक में आवास बोर्ड के धन के हस्तांतरण से संबंधित सतर्कता जांच से संबंधित फाइल आपको उपलब्ध नहीं कराई जा सकती क्योंकि यह आरोप पत्र के लिए कहीं भी प्रासंगिक नहीं है" अन्य फाइलों के संबंध में, यह नहीं कहा गया कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए रिकॉर्ड प्रासंगिक नहीं थे।फिर भी, जवाब था-"जांच के दौरान दिखाया जाएगा, अगर पूछताछ अधिकारी द्वारा प्रासंगिक घोषित किया जाता है।”

(60) इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा समय की समाप्ति से पहले ही पूछताछ अधिकारी नियुक्त करने का एक सचेत निर्णय लिया गया था, जिसे याचिकाकर्ता को आरोप पत्र पर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए दिया गया था।वास्तव में, इसी पत्र द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि "जवाब जमा करने का समय" 16 जून, 1997 तक बढ़ा दिया गया था।फिर भी, कुछ फाइलों आदि को देखने की अनुमति के संबंध में याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्थगित किया जा रहा था या जांच अधिकारी द्वारा निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया गया था।क्यों?क्या सरकार इस पर विचार करने के लिए अपनी शक्ति और कर्तव्य का त्याग कर रही थी। आरोप पत्र पर याचिकाकर्ता का जवाब?और वह भी इतनी आसानी से?सुनवाई के दौरान कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

(61) यह काफी स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने वस्तुनिष्ठता का एक मुखौटा भी नहीं रखा था। आरोपों पर उनका जवाब चाहे जो भी हो, उनका स्पष्टीकरण चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, राज्य सरकार याचिकाकर्ता को विभागीय जांच के अधीन करने पर आमादा थी।कोई भी उनके जवाब पर विचार करने से बहुत कम इंतजार करने को भी तैयार नहीं था।असली इरादा बहुत स्पष्ट है।

(62) आम तौर पर, जब किसी कर्मचारी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जाता है, तो उसे अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने का अधिकार होता है।उसे जवाब प्रस्तुत करने का एक प्रभावी अवसर देने के लिए, विभाग रिकॉर्ड उपलब्ध कराता है।इसके बाद, कर्मचारी से प्राप्त उत्तर पर निष्पक्ष रूप से विचार किए जाने की उम्मीद है।यह तभी होता है जब जवाब असंतोषजनक पाया जाता है या कर्मचारी द्वारा लिए गए रुख की शुद्धता के संबंध में नियोक्ता के मन में संदेह बना रहता है कि एक जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए एक आदेश पारित किया जाता है।निर्विवाद रूप से, जांच की कार्यवाही में समय, ऊर्जा और खर्च शामिल होते हैं।यहाँ तक कि सरकार के लिए भी। जब तक उचित कारण न हों, तब तक जांच शुरू या आदेश नहीं दिया जाता है।हालांकि, वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि जांच अधिकारी की नियुक्ति का आदेश याचिकाकर्ता पर आरोप

पत्र की सेवा के तुरंत बाद पारित किया गया था।वास्तव में, सरकार ने स्वयं याचिकाकर्ता को 16 जून, 1997 को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय दिया था।फिर भी, जांच अधिकारी की नियुक्ति के निर्णय की घोषणा 27 अप्रैल, 1997 को की गई थी।तथ्य अपने लिए बोलते हैं।ये प्रतिवादीगण द्वारा किए गए निष्पक्षता, निष्पक्षता और प्रामाणिकता के दावे के खिलाफ लड़ते हैं।

(63) यह भी उल्लेख करने योग्य है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने या उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्णय किसी भी निष्पक्ष और स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा तथ्यों या फाइलों के वस्तुनिष्ठ विचार पर आधारित नहीं था।वास्तव में, प्रतिवादी संख्या 4 ने इस तथ्य के बावजूद इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था कि सी. बी. आई. द्वारा दर्ज किए गए दो मामलों में से एक में उसकी ओर उंगली उठाई जा रही थी। याचिकाकर्ता की ओर से यह सुझाव कि आरोप पत्र केवल एक जवाबी विस्फोट नहीं था, बल्कि वास्तव में सी. बी. आई. द्वारा जांच को दबाने और बचाव करने का प्रयास पूरी तरह से निराधार नहीं लगता है।वास्तव में, राज्य सरकार और उसके अधिकारियों द्वारा सी. बी. आई. द्वारा जांच को रोकने का स्पष्ट प्रयास किया गया था। लेकिन जनहित याचिका के माध्यम से एक याचिका के माध्यम से इस अदालत के हस्तक्षेप के लिए, वे शायद सफल भी हुए होंगे।26 मई, 1997 के पत्र से प्रतिवादीगण का पक्षपाती रवैया निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से सामने आया है।24 अप्रैल, 1997 के ज्ञापन में, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को आरोप पत्र जारी किया गया था, उन्हें सूचित किया गया था कि यदि वह संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड तक पहुंच चाहते हैं, तो उन्हें पूर्व नियुक्ति करने के बाद सतर्कता विभाग में इसका निरीक्षण करना चाहिए।" यह उन्हें आरोप पत्र पर अपना जवाब तैयार करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से था।ज्ञापन के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची में, "संलग्नक सहित सतर्कता के प्रधान सचिव, आई. ए. एस., एस. सुरजीत सिंह द्वारा की गई तथ्य खोज जांच" की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया था।यह याचिकाकर्ता का मामला है कि आईडी1 प्रत्यर्थी संख्या 4 का अधीनस्थ था और वह राष्ट्रीयकृत बैंक से एएमआरओ बैंक में धन के हस्तांतरण से संबंधित मामले में भी उसकी मदद करना चाहता था, जिसमें श्री आर. एस. मान और सुश्री तेजिंदर कौर के खिलाफ जांच की जा रही थी।यह सुझाव दिया गया था कि लगभग 10 करोड़ की पर्याप्त राशि हस्तांतरित की गई थी।इसे याचिकाकर्ता से इस आधार पर वापस रखा गया था कि यह प्रासंगिक नहीं था।अन्य फाइलों को अप्रासंगिक नहीं कहा गया था।फिर भी, इन्हें रोक दिया गया।यह कहा गया था कि यदि जाँच अधिकारी द्वारा प्रासंगिक घोषित किया जाता है तो इन्हें जाँच के दौरान दिखाया जाएगा।" कम से कम कहने के लिए, इसकी गणना याचिकाकर्ता को उचित और प्रभावी उत्तर प्रस्तुत करने से रोकने के लिए की गई थी।

(64) यहां तक कि भी!जिन घटनाओं के बाद याचिकाकर्ता ने मामलों को सी. बी. आई. को अग्रेषित किया और अब तक की जांच, प्रतिवादीगण की ओर से किए गए अधिकार के प्रामाणिक प्रयोग के दावे को मदद, समर्थन या कोई विश्वास प्रदान नहीं करती है।वी. के. झांजी और एन. सी. खीची जे. जे. की पीठ द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश के अनुसरण में, 3 अगस्त 1998 को सी. बी. आई. ने अपने द्वारा दर्ज किए गए दो मामलों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दायर की थी।दोनों मामलों की रिपोर्ट अदालत को दी गई थी।इन्हें श्री एस. एन. अग्रवाल, जे. टी. के साथ सीलबंद लिफाफे में रखने का आदेश दिया गया था। पंजीयक (नियम)।सुनवाई के दौरान, सी. बी. आई. के वकील श्री आर. के. हांडा ने 16 अक्टूबर, 1998 को पीठ को स्थिति रिपोर्ट की प्रतियां प्रस्तुत की थीं।आर. सी. नं. 7/97 के संबंध में, श्री एस. एल. गुप्ता, डी. एस. पी., सी. बी. आई. द्वारा 'सत्यापित' रिपोर्ट दायर की गई थी।आर. सी. नं. 8/97 के संबंध में, जांच अधिकारी श्री ओ. पी. शर्मा द्वारा 'सत्यापित' एक रिपोर्ट दायर की गई थी।इन रिपोर्टों के साथ कुछ अनुलग्नक भी जोड़े गए थे।दोनों मामलों में की गई जांच के संबंध में विवरण भी अदालत को प्रस्तुत किया गया था।

(65) श्री बिक्रमजीत से संबंधित केसी के संबंध में स्थिति रिपोर्ट अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार कहती हैः—

> "12 उपरोक्त संपत्ति और खर्च का पता लगाने के लिए पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, भोपाल, बैंगलोर और मैसूर के विभिन्न हिस्सों में इस मामले की जांच की गई है।अब तक 169 गवाहों से पूछताछ की गई है और विभिन्न क्षेत्रों से 485 दस्तावेज एकत्र किए गए हैं।

(13) अब तक की गई जाँच से संकेत मिला है कि एस। चेक अवधि (01.01.80 से 25.2.1997) के दौरान बिक्रमजीत सिंह और उनके परिवार के सदस्यों की निम्नलिखित आय, व्यय और संपत्ति थीः—

(ए) आय	रु	046,30,911-
(ख) व्यय	रु.	077,26,996-25
((c) एसेट्स	रु.	104,80,868-93
((घ) अव्यवस्थित	रु	135,76,953-

कुल राशी

(व्यय + परिसंपत्तियाँ-आय) "

(66) पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के चोरी हस्तांतरण के मामले के संबंध में, विभिन्न निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं।यह निम्नानुसार देखा गया हैः—

"49 अब तक की गई जाँच से पता चला है कि सरकारी भूमि को खेल सचिव श्री आई. एस. बिंद्रा द्वारा पंजाब क्रिकेट संघ को हस्तांतरित कर दिया गया है, जो बिना किसी अधिकार के एक निजी निकाय है।पंजाब सरकार के कार्य के नियमों, 1992 के अनुसार वह सरकारी भूमि को एक निजी निकाय को पट्टे पर देने के लिए सक्षम नहीं थे, जिसके वे स्वयं अध्यक्ष/अध्यक्ष थे।उन्होंने खेल विभाग के प्रमुख यानी सचिव, खेल विभाग, पंजाब के रूप में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया।यह भी खुलासा किया गया है कि आवंटन को वित्त समिति की मंजूरी नहीं थी जो इस तरह के आवंटन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी थी।श्री बिंद्रा ने पंजाब के खेल विभाग की ओर से एकतरफा पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके लिए उन्हें वित्त विभाग सहित सक्षम प्राधिकारी की उचित मंजूरी के बिना अधिकृत नहीं किया गया था।

50 पंजाब शहरी विकास प्राधिकरण, चंडीगढ़ के लेखा उप नियंत्रक (वित्त और लेखा परीक्षा) ने अपने दिनांकित 25.08.95 के नोट में लिखा था, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः—

'क्रिकेट स्टेडियम और क्लब हाउस के निर्माण के लिए किसी निजी संस्थान को धन देना पी. एच. डी. बी. अधिनियम, 1972 के तहत अवैध और टिकाऊ नहीं है।बोर्ड पी. सी. ए. जैसे निजी संस्थान को अनुदान देने के लिए अधिकृत नहीं कर सका। पी. सी. ए. को मुफ्त में भूमि का अनुदान जो बाजार मूल्य के अनुसार 25 करोड़ रुपये से अधिक का था। 27 करोड़ अत्यधिक अनुचित है।तत्कालीन मुख्यमंत्री को मैसर्स पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को धन जारी करने की उचित सलाह नहीं दी गई थी।बोर्ड की कार्रवाई ने पी. एच. डी. बी./पी. यू. डी. ए. अधिनियम के उद्देश्य के उल्लंघन में पूरी तरह से अनुचित स्थिति पैदा कर दी है। अधिनियम के तहत किसी निजी निकाय को अनुदान की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

51 यह भी खुलासा किया गया है कि भूमि।श्री आर. एस. मान, पी. एच. डी. बी. (अब पुडा) के तत्कालीन अध्यक्ष, श्री आई. एस. बिंद्रा, तत्कालीन सचिव, खेल, श्रीमती. तेजिंदर कौर, तत्कालीन मुख्य प्रशासक और आवास आयुक्त और श्री टी. सी. गुप्ता अपने स्तर पर तत्कालीन निदेशक खेल थे और क्रिकेट स्टेडियम के भूमि उपयोग को बदलने और भूमि को एक निजी निकाय, पी. सी. ए. को हस्तांतरित करने का निर्णय सरकार का नहीं था। यह भी खुलासा किया गया है कि पंजाब सरकार के साथ-साथ पंजाब शहरी विकास प्राधिकरण का क्रिकेट स्टेडियम और क्लब हाउस के प्रबंधन पर कोई नियंत्रण नहीं है।यह देखा गया है कि धन जारी करने के लिए यह एक आवश्यक शर्त

थी कि स्टेडियम और क्लब हाउस दोनों के स्वामित्व, उपयोग और प्रबंधन के संबंध में पुडा और पी. सी. ए. के बीच एक समझौता किया जाएगा।यदि खर्च का बड़ा हिस्सा वहन करने वाली सरकार के हित की रक्षा की जानी है तो ऐसा समझौता नितांत आवश्यक है।
52 कई साल बीतने के बावजूद, पुडा और पी. सी. ए. के बीच एक अंतिम समझौते को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।
53 लापता है।
54 भूमि के लिए पट्टा विलेख की कानूनी वैधता भी संदिग्ध है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारी हस्ताक्षर कर रहा है। सरकार की ओर से ऐसा करने का अधिकार नहीं था।

55 यह अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पट्टा विलेख वह आधार है जिसके आधार पर विचाराधीन संपत्ति को एक निजी वाणिज्यिक बैंक को गिरवी रखा गया है, जिस पर पी. सी. ए. का लगभग रु। 3 करोड़।

56 इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है।

(67) क्या उपरोक्त निष्कर्ष इस बात का संकेत नहीं देते हैं कि सरकार के पास जांच का आदेश देने का एक अच्छा कारण था?क्या अधिकारियों की ईमानदारी की जांच की आवश्यकता नहीं थी?क्या यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में दुर्भावनापूर्ण कार्य किया था?क्या याचिकाकर्ता ने अवैध रूप से या अनुचित तरीके से भी काम किया ताकि उस पर अनुचितता या कदाचार का कोई कथित कार्य करने का आरोप लगाया जा सके? क्या याचिकाकर्ता की कार्रवाई के बाद की घटनाएं कर्तव्य के प्रति उसकी निष्ठा को साबित नहीं करती हैं?

(68) सी. बी. आई. द्वारा अब तक दर्ज किए गए निष्कर्षों के बावजूद, श्री सच्चर ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने सी. बी. आई. को मामलों की रिपोर्ट करने में गलती की थी। उन्होंने कहा कि मतदान 7 फरवरी, 1997 को होना था।6 फरवरी, 1997 को ऐसी कोई गंभीर तात्कालिकता नहीं थी जिसने याचिकाकर्ता को दोनों मामलों के संबंध में एक संदर्भ बनाने के लिए मजबूर किया हो। वकील के अनुसार, याचिकाकर्ता इंतजार कर सकती थी और नई सरकार को अपना निर्णय लेने की अनुमति दे सकती थी।

(69) क्या याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना नहीं करके गलती की?

(70) यह माना जा सकता है कि समग्र तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के लिए धीमी नीति अपनाना संभव हो सकता है।उनके पास विलम्बकारी रणनीति अपनाने और इस प्रकार अपने सहयोगियों की मदद करने का विकल्प हो सकता है।लेकिन, क्या एक लोक सेवक को सार्वजनिक भलाई की अनदेखी नहीं करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए?ऊपर वर्णित घटनाओं के क्रम को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने केवल तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए स्पष्ट और सकारात्मक निर्देशों का पालन किया था।जैसा कि श्री सच्चर ने सुझाव दिया था, अगर वह इस मामले में दैनिक रूप से उपस्थित होते, तो शायद उन पर आरोप लगाने के लिए उंगली उठाई जाती।हो सकता है कि उन पर आदेश का पालन करने में विफलता का आरोप लगाया गया हो।हो सकता है कि उन पर अपने सहयोगियों को बचाने का प्रयास करने का भी संदेह था।वास्तव में, मामले पर विचार करने के बाद, हमें यह जानकर खुशी हो रही है कि सरकार में आसन्न परिवर्तन ने याचिकाकर्ता को अपना कर्तव्य निभाने से नहीं रोका था।संभावना का डर सेंसर ने उसे अपने रास्ते से नहीं मोड़ा था।यह तथ्य कि उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की थी कि दूर क्या है और अपने कर्तव्य का पालन किया है, उन्हें एक थप्पड़ का अधिकार देता है न कि उस उत्पीड़न का जिसका वे फरवरी 1997 से सामना कर रहे हैं।

(71) यह निस्संदेह सही है कि नियोक्ता को किसी कर्मचारी के आचरण पर गौर करने का

अधिकार है जब भी उसे कोई संदेह हो।यहां तक कि नियमित जांच का आदेश भी दिया जा सकता है।वास्तव में, एक जांच केवल सचाई का पता लगाने में मदद करती है।जब भी कोई अधिकारी बादल के नीचे होता है, तो जांच केवल प्राधिकरण को बादल या अधिकारी को हटाने में सक्षम बनाती है। हालांकि, एक आवश्यक पूर्व शर्त यह है कि कार्रवाई वास्तविक होनी चाहिए।जब भी वास्तविक होने पर संदेह होता है, तो विवादित कार्रवाई की वैधता संदिग्ध हो जाती है।हम वर्तमान मामले में क्या पाते हैं?

(72) अब तक की गई जाँच से पता चला है कि भट्टल सरकार के संदेह पूरी तरह से निराधार नहीं थे।वास्तव में, परिणाम इंगित करते हैं कि प्रथम दृष्टया जांच का आदेश देने का औचित्य था।यह भी ध्यान देने योग्य है कि जब प्रतिवादीगण ने जांच के लिए मंजूरी के संबंध में अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया, तो अदालत ने माना कि उनकी कार्रवाई कानूनी रूप से मान्य नहीं थी।यह भी देखा गया कि अधिकारियों ने कार्यवाही को रोक दिया था।इन सब के अलावा यह तथ्य भी है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ने और "कठोर सजा" देने का निर्णय आरोप पत्र तैयार होने से पहले ही घोषित कर दिया गया था।जांच अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय न केवल लिया गया था, बल्कि आरोप पत्र का जवाब जमा करने की अवधि समाप्त होने से पहले ही प्रेस के सामने खुलासा कर दिया गया था।एक प्रभावी जवाब दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया कि अगर पूछताछ अधिकारी द्वारा प्रासंगिक घोषित किया जाता है, तो फाइलों को जांच के दौरान दिखाया जाएगा।" ये सभी तथ्य प्रतिवादीगण द्वारा और उनकी ओर से किए गए वास्तविक दावे को पूरी तरह से नकारते हैं।

(73) दोनों पक्षों के विद्वान वकील ने विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया था।श्री नेहरा ने डॉ. प्रताप सिंह बनाम पंजाब राज्य[1] मामले में उच्चतम न्यायालय के अपने अधिष्ठाताओं के निर्णय और ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 604 मामले में इस न्यायालय की एक पीठ के निर्णय का उल्लेख किया था।इसी तरह, श्री सच्चर ने भी इन निर्णयों में कुछ टिप्पणियों का उल्लेख किया और ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य और एक अन्य[2], जसबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य [3], और हरियाणा राज्य और अन्य बनाम चौ. भजन लाई और अन्य [4]।

(74) इन निर्णयों में दिए गए प्रस्तावों के साथ कोई झगड़ा नहीं है।राज्य शक्ति का उपयोग ईमानदारी से किया जाना चाहिए।माला फिडेस और गैरकानूनी वस्तुएं एक निर्णय को दूषित कर देंगी।अदालत दुर्भावनापूर्ण निष्कर्ष निकालने में धीमी होगी। यह उच्च स्तर के प्रमाण पर जोर देगा।यह केवल संभावनाओं पर काम नहीं करेगा।वास्तव में, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि प्रत्येक राज्य कार्रवाई, प्रशासनिक या अर्ध-न्यायिक, न्यायसंगत और निष्पक्ष होनी चाहिए।यह प्रासंगिक तथ्यों के वस्तुनिष्ठ विचार पर आधारित होना चाहिए।यह पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। इसे किसी बाहरी विचार या दुर्भावना से दूषित नहीं किया जाना चाहिए।किसी भी निकाय को अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए।हित और कर्तव्य के बीच कोई टकराव नहीं होना चाहिए।इनके अलावा, एक समान रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांत यह है कि अदालत केवल तकनीकी कारणों से किसी पक्ष को न्याय देने से इनकार नहीं करेगी।जहाँ कहीं भी अन्याय होगा, अदालत वहाँ पहुँच जाएगी।जब राज्य या उसके अधिकारियों और उपकरणों द्वारा किसी पक्ष के साथ अन्याय किया जा रहा हो तो अदालत कभी भी मूक दर्शक नहीं होगी।

(75) इस कसौटी को देखते हुए हम संतुष्ट हैं कि राज्य की कार्रवाई ईमानदारी से नहीं की गई थी।यह पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं था।प्रतिवादीगण याचिकाकर्ता से नाराज थे।उन्होंने

---

1 ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 72

2 ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 555.

3 1995 (3) एस. सी. टी 96

4 ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 604.

तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा पारित आदेशों को स्थगित नहीं किया था।उन्होंने इस मामले को पर्दे के नीचे नहीं डाला था।इस प्रकार, प्रतिवादीगण ने उसे सख्त और कठोर सजा देने का फैसला किया था।आरोप पत्र राज्य शक्ति के प्रामाणिक प्रयोग में जारी नहीं किया गया था।इसकी गणना जनहित की सेवा के लिए नहीं बल्कि निजी प्रतिशोध के लिए की गई थी।यह उन अधिकारियों के निजी हित को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था जो संदेह के घेरे में थे।दाँत के लिए दाँत एक पुराना रवैया है। हालांकि, वर्तमान मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता के दांतों में सोना ढूंढ रहे हैं।न केवल बदला बल्कि इनाम भी।

(76) इस प्रकार, प्रतिवादीगण के खिलाफ पहले प्रश्न का उत्तर दिया जाता है।यह माना जाता है कि आरोप पत्र ईमानदारी से जारी नहीं किया गया था।इसकी गणना याचिकाकर्ता के माथे पर एक मक्खी को स्वैट करने के लिए हथौड़े के रूप में की गई थी।वह इसके लायक नहीं है।

वाद बिन्दु संख्या- **2** क्या चार्ज-शीट डिस्कॉन्डक्ट कुछ गलत करता है**?**
क्या याचिकाकर्ता को एक उचित अवसर दिया गया था**?**

(77) याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है।श्री नेहरा ने तर्क दिया कि आरोप किसी भी कदाचार का खुलासा नहीं करते हैं जिसके लिए जांच की आवश्यकता हो सकती है।क्या ऐसा ही है?

(78) ऊपर दिए गए आरोपों के अनुच्छेदों के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पहला आरोप यह है कि उसने "दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया और एक वरिष्ठ सिविल सेवक से अपेक्षित निष्पक्षता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और उच्च नैतिकता के सिद्धांत की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए सरकारी कामकाज के स्थापित मानदंडों और प्रक्रियाओं का घोर उल्लंघन किया" जब उसने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत दो अधिसूचनाएं जारी कीं, जिसमें सीबीआई को प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा आय से अधिक संपत्ति के आरोपों और पंजाब क्रिकेट संघ को भूमि और धन के आवंटन की जांच करने का अधिकार दिया गया था।यह भी आरोप लगाया जाता है कि उसने अनुचित जल्दबाजी और रुचि दिखाई।सच में?

(79) सबसे पहले, यह स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया था। पंजाब राज्य द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के उद्धरणों से पता चलता है कि मुख्यमंत्री ने 6 फरवरी, 1997 को याचिकाकर्ता को एक पत्र भेजा था।यह उनके आदेश पर था कि याचिकाकर्ता द्वारा मामला सी. बी. आई. को भेजा गया था।इनमें से एक मामले में मुख्यमंत्री ने याचिकाकर्ता को "तुरंत" आवश्यक कार्य करने का निर्देश दिया था।ऊपर देखी गई घटनाओं के क्रम से पता चलता है कि उन्होंने केवल निर्देशों का पालन किया था।क्या उस पर अभी भी दुराचार करने का आरोप लगाया जा सकता है? उन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से कैसे काम किया?सरकारी कामकाज के कौन से स्थापित मानदंड और प्रक्रियाएँ थीं जिनका याचिकाकर्ता द्वारा घोर उल्लंघन या पूरी तरह से अवहेलना की गई थी? याचिकाकर्ता द्वारा एक वरिष्ठ सिविल सेवक से वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और उच्च नैतिकता के सिद्धांतों की अपेक्षा कैसे की गई?रिकॉर्ड पर कोई जवाब नहीं है।यह सुझाव देने के अलावा कि याचिकाकर्ता को नई सरकार के सत्ता संभालने का इंतजार करना चाहिए था, कुछ भी ठोस नहीं बताया गया।

(80) हमारे विचार में, किसी वरिष्ठ और विशेष रूप से सरकार के प्रमुख द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना कदाचार नहीं हो सकता है ताकि आरोप पत्र जारी करने और जांच शुरू करने को उचित ठहराया जा सके।इसके अलावा, सी. बी. आई. के संदर्भ के बाद जो घटनाएं सामने आई हैं, वे स्पष्ट रूप से इस सुझाव को गलत साबित करती हैं -

याचिकाकर्ता की ओर से कोई दुर्भावना।इसके अलावा, प्रतिवादीगण ने दूर से भी यह सुझाव नहीं दिया है कि उनका किसी भी स्तर पर याचिकाकर्ता के साथ कोई टकराव था।अतः उनके प्रति उनका कोई पक्षपात नहीं था।इस स्थिति में, यह स्पष्ट है कि यदि याचिकाकर्ता तथ्यों को देखने के बाद चुप रहा होता, तो यह उसके खिलाफ संदेह का विषय होता।

(81) प्रतिवादीगण की ओर से एकमात्र तर्क यह था कि याचिकाकर्ता को नई सरकार के कार्यभार संभालने का इंतजार करना चाहिए था।दूसरे शब्दों में, सुझाव यह था कि याचिकाकर्ता को फाइलों को देखना चाहिए था।क्या यह संकेत नहीं देता है कि प्रतिवादीगण पद संभालने के बाद दोनों मामलों को कवर करने का अवसर चाहते थे?1997 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 5428 का निर्णय लेते समय खंड पीठ द्वारा की गई टिप्पणियाँ स्पष्ट रूप से इस तरह का संकेत देती हैं।न्यायाधीश, माननीय एन. के. सोधी ने कहा है कि प्रतिवादीगण ने "दोनों मामलों की जांच में हस्तक्षेप किया है और इसे जारी नहीं रखने देने में सफल रहे हैं।" इस प्रकार, "जांच एजेंसी द्वारा आवश्यक सभी रिकॉर्ड सौंपने" के निर्देश दिए गए थे।यह भी चिंता के साथ देखा गया कि राज्य सरकार ने 6 मार्च, 1997 के पत्र के माध्यम से विभिन्न विभागों को केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मांगे गए रिकॉर्ड को साझा नहीं करने के लिए कहा था।" माननीय न्यायाधीश ने कहा है कि "ऐसी स्थिति को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इस असाधारण स्थिति में, अदालत आवश्यक निर्देश जारी करने के अपने कर्तव्य से नहीं भाग सकती है", टिप्पणियों से पता चलता है कि प्रतिवादीगण द्वारा सब कुछ बंद करने का प्रयास किया गया था।और फिर भी, याचिकाकर्ता पर दुर्भावनापूर्ण कार्य करने या सत्यनिष्ठा और नैतिकता के सिद्धांतों की अनदेखी करने का आरोप लगाया जा रहा है।इससे अधिक अनुचित कुछ नहीं हो सकता।

(82) इसी तरह, एक ओर यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने मामलों को अनुचित जल्दबाजी और अनुचित ब्याज के साथ निपटाया था कि "अधिकांश कार्रवाई 6 फरवरी को पूरी की गई थी, और 7 फरवरी को, जो छुट्टी थी।"दूसरी ओर प्रतिवादीगण ने याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया कि उसने रिकॉर्ड को पूर्ववत और मनगढ़ंत बनाया है जिसमें कहा गया है कि "कुछ कार्य/टिप्पणियाँ जो 6 और 7 फरवरी को की गई हैं, वास्तव में 8 फरवरी, 1997 को की गई थीं।" संभवतः, इस अंतर्विरोध को स्पष्ट करने के लिए, यह भी आरोप लगाया गया है कि "निदेशक, सी. बी. आई. को संबोधित अधिसूचनाएं और पत्र 8 फरवरी, 1997 की दोपहर के बाद जारी किए गए थे और अग्रेषित किए गए थे, लेकिन आपने (याचिकाकर्ता) इन पत्रों और अधिसूचनाओं को 7 फरवरी, 1997 को भेजे गए थे।" हालाँकि, दया से, यह भी नहीं बताया गया है कि चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद पत्र भेजे गए थे।

ऐसा होने पर, यह वास्तव में कोई मायने नहीं रखता कि क्या पत्र वास्तव में 7 फरवरी या 8 फरवरी या 9 फरवरी, 1997 को भेजा गया था।प्रतिवादीगण की ओर से यह सुझाव नहीं है कि याचिकाकर्ता का किसी विशेष अधिकारी या किसी भी उत्तरदाता के खिलाफ कोई व्यक्तिगत द्वेष या पूर्वाग्रह था। उनके पास सेवा करने के लिए कोई व्यक्तिगत अंत नहीं था।या कुल्हाड़ी से कुल्हाड़ी बना लें।फिर भी, उन पर दस्तावेजों को पूर्ववत और मनगढ़ंत बनाने का आरोप लगाया जा रहा है।किस उद्देश्य से? किस उद्देश्य के लिए?किस मकसद से?इसका कोई जवाब नहीं है।इस स्थिति में, याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए इस सुझाव को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है कि इन आरोपों को लगाने में प्रतिवादीगण का एकमात्र उद्देश्य केवल अपने लिए बचाव करना और उसे कठोर सजा देना था।

(83) शेष आरोपों के संबंध में भी, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई।उदाहरण के लिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों में से एक यह है कि उसने कार्यालय से दो मामलों से संबंधित दो फाइलों को वापस ले लिया था।तो क्या?याचिकाकर्ता बाहरी व्यक्ति नहीं था।वह कोई अजनबी नहीं था।वह वैध रूप से सोच सकते थे कि वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित फाइलों को कार्यालय के पास नहीं छोड़ा जाना चाहिए।इसी तरह, यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने 6 फरवरी, 1997 के अपने नोट में किए गए दावों को सत्यापित नहीं किया था-हालाँकि आरोप पत्र या सुनवाई में तथ्य की कोई त्रुटि का खुलासा नहीं किया गया था।इसके अलावा, यह भी आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव संहिता और सरकार द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन किया है।आरोप पत्र के अनुसार, "सचिवों द्वारा नए मंत्रियों को दिखाए बिना किसी भी महत्वपूर्ण मामले का निपटारा नहीं किया जाना था।"ऐसा लगता है कि प्रतिवादीगण का मानना है कि याचिकाकर्ता ने दोनों मामलों को सीबीआई को भेजकर संहिता का उल्लंघन किया था। कैसे?याचिकाकर्ता ने किस महत्वपूर्ण मामले का फैसला किया?कोई नहीं।उन्होंने केवल तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया

था।इसने संहिता का उल्लंघन नहीं किया, यह न तो अवैध था और न ही अनुचित।किसी भी मामले में, यह कोई कदाचार नहीं था।

(84) इस स्थिति का सामना करते हुए, श्री सच्चर ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पंजाब सरकार के कार्य नियमों के नियम 48 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।नियम की क्या आवश्यकता है?संक्षेप में, यह प्रावधान है कि जब भी कोई विभाग कोई वैधानिक नियम, अधिसूचना, आदेश या मसौदा जारी करने का प्रस्ताव करता है, तो उसे सामान्य रूप से राय और संशोधन के लिए कानूनी और विधायी मामलों के विभाग को भेजा जाएगा, जहां आवश्यक हो।भले ही यह माना जाता है कि संदर्भ वैधानिक है, हम प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।सबसे पहले, नियम की भाषा पर यह प्रतीत होता है कि प्रावधान निर्देशिका है।दूसरा, यह प्राधिकरण को व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करता है।जब तक इसे 'आवश्यक' नहीं माना जाता है, तब तक किसी भी संदर्भ की 'सामान्य रूप से' आवश्यकता नहीं होती है।मुख्यमंत्री या याचिकाकर्ता यह विचार रख सकते थे कि एक संदर्भ आवश्यक नहीं था।इस प्रकार, हम प्रस्तुतिकरण को अस्वीकार करते हैं।

(85) इस निष्कर्ष को देखते हुए कि हमने पहले प्रश्न पर और ऊपर की गई टिप्पणियों को भी दर्ज किया है, प्रत्येक आरोप की अलग-अलग जांच करना आवश्यक नहीं प्रतीत होता है।मोटे तौर पर, ऐसा प्रतीत होता है कि भले ही प्रतिवादीगण द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सही माना जाए, लेकिन यह केवल इस बात का संकेत देगा कि दो विचार संभव थे।याचिकाकर्ता ने संभावित विचारों में से एक लिया था।श्री सेठी तर्क देते हैं कि याचिकाकर्ता के पास संपत्ति है।यह उसके खिलाफ आरोप नहीं है।

(86) श्री सच्चर ने हालांकि बताया कि महाधिवक्ता से भी सलाह नहीं ली गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से यह कहा गया था कि तत्कालीन महाधिवक्ता का एक पत्र है जो दर्शाता है कि आरोप गलत है।पत्र वास्तव में वकील द्वारा दिखाया गया था।

(87) आरोपों पर विचार करने पर, हमें यह महसूस होता है कि याचिकाकर्ता को ठीक करने के लिए एक ठोस कदम उठाया गया था।उन पर मामले को गुप्त रखने और उचित प्रारंभिक जांच किए बिना मंजूरी के संबंध में अधिसूचना जारी करने का आरोप लगाया गया था।निश्चित रूप से, मुख्य सचिव के पद का एक अधिकारी, राज्य में सेवा का सबसे वरिष्ठ सदस्य और एक व्यक्ति जिसे आई. ए. एस. अधिकारियों की अखिल भारतीय वरिष्ठता में नंबर 2 पर कहा जाता है, कुछ फाइलें रखने का हकदार था जिन्हें वह संवेदनशील प्रकृति की मानते थे ताकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से संबंधित प्राधिकारी/अधिकारी को दिया जा सके।उन्हें अपने निर्णय का प्रयोग करने और निर्णय लेने का अधिकार था।ऐसे आरोपों पर उन लोगों के कहने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करना, जो खुद एक बादल के नीचे हैं, सत्ता का एक वास्तविक प्रयोग नहीं था।

(88) संभवतः औचित्य का ढोंग करने के लिए प्रतिवादी संख्या 5 के वकील श्री मोहिंदरजीत सिंह ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री को इस तथ्य का खुलासा नहीं किया था कि दिसंबर 1994 में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था।उन्होंने फाइल से पृष्ठ 18 की एक फोटो प्रति प्रस्तुत की।यह नीचे लिखा हैः—

> "चूंकि मांगा गया विस्तार पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि जांच पूरी हो चुकी है।भले ही यह पूरा नहीं हुआ हो, मैं जांच के चरण को जानना चाहूंगा। तथापि, मेरा विचार है कि परिसंपत्तियों की जांच करते समय, केवल अधिकारियों की ऐसी परिसंपत्तियों की ही नए सिरे से जांच की जानी चाहिए जो अधिकारियों द्वारा समय-समय पर उनके संपत्ति विवरणी में घोषित परिसंपत्तियों से अधिक हो, अन्यथा यह अनुचित उत्पीड़न के समान है, विशेष रूप से जब अधिकारियों ने परिसंपत्तियों की घोषणा कर दी हो और सरकार ने सूचना के साथ-साथ संपत्ति विवरणी पर भी ध्यान दिया हो।इस संबंध में विचार कृपया विधि विभाग से परामर्श करने के बाद कार्मिक विभाग की फाइल पर मुख्य सचिव द्वारा अलग फाइल पर रखे जा सकते हैं।"

(89) चूंकि मामले की जांच लंबित है, इसलिए हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं।हम केवल इतना कहेंगे कि उपरोक्त नोट ने आगे की जांच पर रोक नहीं लगाई।वास्तव में, मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को कानून विभाग से परामर्श करने और फिर एक नोट रखने के लिए कहा था।यह मामला केवल विचाराधीन था।दस्तावेज़ में कोई निर्णय शामिल नहीं है।हम और कुछ नहीं कहेंगे।

(90) इसके अलावा, ऊपर देखी गई घटनाओं के क्रम से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को दस्तावेजों तक पहुंच की अनुमति नहीं दी गई थी ताकि वह आरोप पत्र का प्रभावी जवाब दाखिल कर सके।आरोप-पत्र का जवाब देने का समय समाप्त होने से पहले ही जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई थी।इसके अलावा, प्रतिवादी Nos.3 और 4 द्वारा यह भी दर्ज किया गया था कि याचिकाकर्ता की कार्रवाई "स्पष्ट रूप से द्वेष, वेंडेटा और स्थापित मानदंडों और प्रक्रिया का घोर उल्लंघन है।यह वास्तविक इरादे को दर्शाता है।

(91) एक अन्य तथ्य जो नोटिस को अस्वीकार करता है, वह याचिकाकर्ता को एक उचित अवसर देने के संबंध में है।प्रतिवादीगण की ओर से यह तर्क दिया गया कि एक विस्तृत जांच की जा रही है और याचिकाकर्ता को तथ्यों को साबित करने का पूरा अवसर दिया जाएगा।उन्हें सत्ता के प्रामाणिक प्रयोग के संबंध में अपने दावे को साबित करने का हर मौका दिया जा रहा है।क्या सचमुच ऐसा है?

(92) हम कानून के शासन द्वारा शासित समाज हैं।किसी की सनक और सनक से नहीं। चाहे कितना भी ऊँचा क्यों न हो।यहां तक कि एक जघन्य अपराध का आरोपी व्यक्ति भी निष्पक्ष और उचित सुनवाई का हकदार है। एक निष्पक्ष प्राधिकरण या अदालत के समक्ष अपनी बेगुनाही साबित करने का अवसर।

(93) वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को आरोप पत्र के साथ ज्ञापन में उस ओर से आश्वासन दिए जाने के बावजूद उनके द्वारा मांगे गए दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान नहीं की गईं।यहां तक कि दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति के लिए उनके अनुरोध को भी स्वीकार नहीं किया गया। उन्हें सूचित किया गया कि यदि जांच अधिकारी द्वारा प्रासंगिक घोषित किया जाता है तो जांच के दौरान दस्तावेज दिखाए जाएंगे।यह पूरी तरह से अनुचित था।यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था।दस्तावेजों की प्रतियों के बिना, जो प्रतिवादीगण ने भी नहीं सुझाए थे, अप्रासंगिक थे, याचिकाकर्ता के लिए आरोप पत्र पर जवाब प्रस्तुत करने के अपने अधिकार का प्रभावी ढंग से प्रयोग करना लगभग असंभव होता।इस संबंध में नियम यू. पी. राज्य बनाम में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है।शत्रुघ्न लाई और एक अन्य[5]।उनके अधिपतियों को यह मानते हुए खुशी हुई किः—

> "अब, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में से एक यह है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव है, उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।यह अवसर एक प्रभावी अवसर होना चाहिए न कि केवल दिखावा।विभागीय कार्यवाहियों में जहां आरोप पत्र जारी किया जाता है और उस व्यक्ति के खिलाफ जिन दस्तावेजों का उपयोग करने का प्रस्ताव किया जाता है, उन्हें आरोप पत्र में इंगित किया जाता है, लेकिन उनके अनुरोध के बावजूद उनकी प्रतियां उन्हें प्रदान नहीं की जाती हैं, और साथ ही उन्हें अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें एक प्रभावी अवसर प्रदान किया गया था।[देखिएःजेटी 1987 (4) एससी 398; ए. आई. आर. 1986 एससी 2118; ए. आई. आर. 1982 एससी 937)]।

(94) उपरोक्त टिप्पणियाँ स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि प्रतिवादीगण की कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन थी।वास्तव में, अपने पद और वरिष्ठता के आधार पर, याचिकाकर्ता को कुछ शिष्टाचार दिखाने का अधिकार था।उन्हें दस्तावेजों की प्रतियां देनी चाहिए थीं।भले ही वह बहुत अधिक था, वह दस्तावेजों को देखने और निरीक्षण करने का हकदार था।प्रतिवादीगण ने उनके अनुरोध को अस्वीकार करने में गलती की।फिर भी, यह दावा किया जाता है कि याचिकाकर्ता को अपना बचाव करने का पूरा अवसर मिलेगा।याचिका केवल एक दिखावा है।यह केवल याचिका को

---

5 जे टी 1998 (6) एस सी 55

विफल करने का प्रयास है।

(95) याचिकाकर्ता की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया था कि पूछताछ अधिकारी भी उचित अवसर नहीं दे रहे थे। यह भी दावा किया गया था कि कार्यवाही कैमरे में रखी जा रही थी। क्यों?केवल काले कर्मों को ही अंधेरे के आवरण की आवश्यकता होती है।अन्यथा, धूप सबसे अच्छा एंटीसेप्टिक है।इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में, हम और कुछ नहीं कहेंगे।

(96) परिणामस्वरूप, हम प्रतिवादीगण के खिलाफ दूसरे प्रश्न का भी उत्तर देते हैं।यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि आरोप पत्र, इस मामले के संदर्भ में, याचिकाकर्ता को परेशान करने के लिए केवल एक विभाजन है।यह याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी कदाचार का खुलासा नहीं करता है जिसकी जांच की आवश्यकता हो सकती है।इसके अलावा, याचिकाकर्ता को एक उचित अवसर से वंचित कर दिया गया था।प्रतिवादीगण याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए दस्तावेजों की प्रतियां देने में गलत तरीके से विफल रहे थे।

(97) उपर्युक्त दो मुद्दों के उत्तरों को देखते हुए, अन्य प्रश्नों की जांच करना आवश्यक नहीं प्रतीत होता है जैसा कि ऊपर देखा गया है।हालाँकि, हम इन मुद्दों पर बहुत संक्षेप में विज्ञापन देंगे।

वाद बिन्दु संख्या **(iii)** क्या राज्य सरकार के पास न्यायपालिका नहीं है**?**

(98) श्री नेहरा ने तर्क दिया कि राज्य सरकार के पास आई. ए. एस. के सदस्य के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

(99) हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।सेवा के सदस्य अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं।1974 में नियमों के प्रावधानों में संशोधन किया गया था।इस संशोधन के आधार पर राज्य सरकारों को संबंधित राज्यों को आवंटित अधिकारियों के आचरण की जांच करने का अधिकार दिया गया था।इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

रेगः((iv) क्या न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण गलत था?

(100) पहले दो प्रश्नों पर हमारे निष्कर्षों को देखते हुए, एक विस्तृत परीक्षा की आवश्यकता नहीं है।न्यायाधिकरण के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।इस प्रकार, याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए तर्क को स्वीकार किया जाना चाहिए।

रेगः(v) क्या उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है?

(101) यह निस्संदेह सरकार का अधिकार है कि वह अपने अधिकारियों के आचरण की जांच करे।हालाँकि, यह हमारे लिए समान रूप से स्पष्ट है कि सभी शक्तियों का प्रयोग बंधुत्व से किया जाना चाहिए।जनता को बढ़ावा देने के लिए दिलचस्प, निष्पक्ष रूप से।निजी या व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा देने के लिए नहीं।इसके अलावा हम यह भी महसूस करते हैं कि जहां भी अन्याय होता है, वहां तक पहुंचने की शक्ति और कर्तव्य रिट अदालत के पास है।मौन हमेशा सही विकल्प नहीं होता है। किसी भी मामले में, जब चीजें गलत तरीके से की जाती हैं तो चुप रहना सही नहीं होगा।

(102) वर्तमान मामले में हम संतुष्ट हैं कि हस्तक्षेप करने में विफलता न्याय की विफलता का कारण बनेगी।इसलिए हम इस स्तर पर कार्यवाही को बाधित करने के लिए विवश महसूस करते हैं।हमारी राय में, याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी।कार्यवाही के जारी रहने से सार्वजनिक नहीं बल्कि केवल निजी हित को बढ़ावा मिलेगा।यदि डी. एल. एल. में है, तो यह सेवा के अन्य सदस्यों को निर्णय लेने से रोक सकता है।यह ठीक नहीं होगा।

निष्कर्ष यह हैः

(103) पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैं:—

(i) कर्तव्य ऋण के समान है।अवश्य करना चाहिए।बिना विलम्ब या विलम्ब के छुट्टी दी जाए।याचिकाकर्ता ने ऐसा किया था।सरकार में आसन्न परिवर्तन ने उन्हें अपना कर्तव्य निभाने से नहीं रोका था।यहाँ तक कि संभावित निंदा के डर ने भी उन्हें धार्मिक मार्ग से विचलित नहीं किया था।उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि दूरी पर क्या अस्पष्ट रूप से पड़ा है-उन्होंने जो स्पष्ट रूप से हाथ में था उससे निपटा लिया था।इसके लिए, याचिकाकर्ता एक थप्पड़ का हकदार था न कि उत्पीड़न का।हम संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ विवादित आरोप पत्र जारी करने में प्रतिवादीगण की कार्रवाई हथौड़े का उपयोग करके उसके माथे पर एक मक्खी को बदलने के समान है।

(ii) मनुष्य अपना जन्मस्थान नहीं चुन सकता।न ही उसके माता-पिता।न ही उनकी भूमिका।ये विशुद्ध रूप से दिव्य विशेषाधिकार हैं।हालांकि, निर्धारित भूमिका को अच्छी तरह से निभाना मनुष्य की पहुंच के भीतर है।ऐसा करने के बाद उसे संतुष्टि के साथ बैठने का अधिकार होना चाहिए।वर्तमान मामले में, हम संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता ने केवल तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आदेशों का ईमानदारी से और तुरंत पालन किया था।उन्होंने दुर्भावनापूर्ण व्यवहार नहीं किया था।कोई प्रतिशोध नहीं था।निर्धारित मानदंडों या प्रक्रिया का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। याचिकाकर्ता ने कोई चूक नहीं की थी ताकि उसके करियर या प्रतिष्ठा को कोई नुकसान हो।

(iii) ऐसा लगता है कि प्रतिवादीगण के पास दूसरों में दोष देखने के लिए एक ईगल की आंख है।याचिकाकर्ता पर आरोप लगाने वाली उंगली उठाने से पहले उन्हें खुद को देखने की जरूरत है।क्या उन्होंने यदि वे निर्दोष होते, तो वे उससे इतने नाराज नहीं होते।

(iv) प्रतिवादीगण केवल सिद्धांतों की बात कर रहे हैं।वास्तव में, वे ब्याज पर काम कर रहे हैं।याचिकाकर्ता को शक्ति के प्रामाणिक प्रयोग में आरोप पत्र जारी नहीं किया गया था।इसकी गणना एक रक्षा बनाने के लिए की गई थी।दाँत के लिए दाँत एक पुराना नियम है।वर्तमान मामले में प्रतिवादीगण याचिकाकर्ता के दांतों में सोना ढूंढ रहे हैं।

(v) घटनाओं के क्रम से पता चलता है कि प्रतिवादीगण ने याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का दोषी ठहराने का मन बना लिया था।आरोप पत्र जारी होने से पहले ही उन्होंने कड़ी सजा देने का फैसला किया था।इस निर्णय की घोषणा मुख्य सचिव श्री आर. एस. मान ने 26 फरवरी, 1997 को संवाददाता सम्मेलन में की थी।अगले दिन, 27 फरवरी, 1997 को प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने नोट में कहा था कि याचिकाकर्ता की कार्रवाई से "द्वेष, प्रतिशोध और स्थापित मानदंडों और प्रक्रियाओं का घोर उल्लंघन होता है।"मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल ने उसी दिन इसे तुरंत मंजूरी दे दी थी।देखने के लिए बहुत कम बचा था।कार्यवाही न तो ईमानदारी से शुरू की गई थी और न ही निष्पक्ष रूप से की गई थी।

(vi) प्रतिवादीगण ने न्यायपूर्ण और निष्पक्ष जांच के लिए बुनियादी नियमों और मानदंडों का पालन नहीं किया है।उन्होंने इस न्यूनतम गारंटी का उल्लंघन किया है कि अधिकारी को आरोप पत्र का जवाब देने का एक प्रभावी अवसर दिया जाएगा और नियमित जांच करने का निर्णय लेने से पहले उसके जवाब पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाएगा।वर्तमान मामले में प्रतिवादी संख्या 4 ने घोषणा की थी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई की जाएगी।मुख्यमंत्री ने याचिकाकर्ता को दिए गए जवाब की अवधि समाप्त होने से पहले ही एक जांच अधिकारी नियुक्त करने के निर्णय के बारे में घोषणा कर दी थी।

(vii) जांच अधिकारी द्वारा अपनाई गई "असंक्रमित" कार्यवाही की प्रक्रिया पूरी तरह से अनुचित थी।इसमें छिपाने के लिए क्या था?केवल काले कर्मों को ही अंधेरे के आवरण की आवश्यकता होती है।अन्यथा, सूर्य की रोशनी सबसे अच्छी एंटी-सेप्टिक है। सभी आरोपों के खिलाफ पारदर्शिता सबसे अच्छा बचाव है।

(viii)एक रिट अदालत आम तौर पर एक पूछताछ को रोकने या आरोप पत्र को रद्द करने के लिए हस्तक्षेप नहीं करती है।हालाँकि, वर्तमान मामले में हम संतुष्ट हैं कि मौन सही विकल्प नहीं होगा।जब चीजें गलत तरीके से की जाती हैं, तो मौन एक पाप है।वर्तमान मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है जहां अदालत को अन्याय को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए।

(ix) याचिकाकर्ता का यह तर्क कि राज्य सरकार के पास भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की कोई शक्ति नहीं है, नियमों के तहत मान्य नहीं है और इसके परिणामस्वरूप खारिज कर दिया जाता है।

(x) याचिकाकर्ता को उचित अवसर देने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि उसे दस्तावेजों की प्रतियां या रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई थी। यह कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन थी।

(104) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम रिट याचिका की अनुमति देते हैं।यह माना जाता है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया था। परिणामस्वरूप, न्यायाधिकरण द्वारा 16 अप्रैल, 1998 को पारित आदेश, जिसकी एक प्रति अनुबंध पी-8 के रूप में रिकॉर्ड में है, को दरकिनार कर दिया गया है।हम 24 अप्रैल, 1997 के आरोप पत्र को भी रद्द करते हैं, जिसकी एक प्रति अनुलग्नक पी-4 के रूप में दर्ज है।सिविल मिस्क।याचिकाओं का निपटारा इस आदेश के अनुसार किया जाएगा।याचिकाकर्ता अपने खर्च का हकदार होगा।

(105) सुनवाई के दौरान, केंद्रीय जांच ब्यूरो के वकील श्री आर. के. हांडा ने आर. सी. संख्या 7/97 और आर. सी. संख्या 6/97 में अदालत की स्थिति रिपोर्ट सौंपी थी।इन्हें सी. बी. आई. के अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया था। ये दोनों रिपोर्ट एक लाल रंग की फाइल कवर में निहित हैं।श्री हांडा ने दोनों मामलों की जांच का विवरण भी सौंपा था।स्थिति रिपोर्ट के विपरीत ये विवरण डुप्लिकेट में प्रस्तुत किए गए थे।ये दोनों दो अलग-अलग भूरे रंग की फाइलों में निहित हैं।उपरोक्त तीन फाइलों को एक आवरण में रखा गया है।इसे इस न्यायालय के पंजीयक की मुहर से सील कर दिया गया है।(चिह्न 'ए')

(106) पंजाब राज्य के वकील श्री राजिंदर सच्चर ने सुनवाई के दौरान शुरू में अदालत को दस्तावेजों की कुछ प्रतियां (टिप्पणियों से उद्धरण आदि) प्रस्तुत की थीं।अंततः, उन्होंने एक संकलन (पृष्ठ 1 से 94) दाखिल किया था।ये थे नोटिंग और प्रेस कटिंग आदि के अर्क। फाइलों को वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और अन्य वकील द्वारा प्रस्तुत फाइलों को एक दूसरे लिफाफे में रखा जाता है जिसे भी सील कर दिया गया है।(निशान 'बी')

(107) ये सीलबंद लिफाफे अदालत की अनुमति के बिना रजिस्ट्री में नहीं खोले जाएंगे। सीलबंद लिफाफे हमारे द्वारा दिये गए हैं।

एस०के०

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।*

रवि अमितोज

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रोहतक,हरियाणा